प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण

(पीएमएवाई–जी)

के

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

ग्रामीण विकास, पंचायती राज और
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT, PANCHAYATI RAJ
AND DRINKING WATER & SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

संदेश

वर्ष 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न वर्ष 2022 तक 'सबके लिए आवास' के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत तीन वर्षों (2016–17 से 2018–19 तक) में एक करोड़ ग्रामीण आवास निर्माण हेतु सहायता देने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह सहायता उन परिवारों को दी जाएगी जो बेघर है या कच्चे एवं जीर्ण मकानों में रह रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक उत्तरदायी कियान्वयन प्रणाली, मजबूत मॉनीटरिंग व्यवस्था एवं फॉलोअप पर जोर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर निर्णय व्यवस्था एवं डिलीवरी के लिए किया गया है।

बेहतर उत्तरदायित्व के लिए कार्यक्रम के कियान्वयन की समीक्षा और निगरानी जिला–स्तर पर माननीय सांसदों की अध्यक्षता में गठित दिशा समिति और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा करने तथा लेखा जांच (ऑडिट) एवं सामाजिक लेखा परीक्षा (सोशल ऑडिट) की व्यवस्था की गई है ।

मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में अपनाई गई प्रकियाएं एवं कार्य विधियॉ मैदानी स्तर पर इस योजना के बेहतर कियान्वयन एवं तद्नुसार बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी होंगी।

18/11/16

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001
Tel.: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385876
Resi.: 3 Krishna Menon Marg, New Delhi-110001
Ph.: 011-23794697/98, Fax: 011-23794696

विषय–सूची

अध्याय	विषय और उप–शीर्ष	पेज न.
	कार्यकारी सारांश	**V**
	संक्षिप्तियां	**IX**
	सेपरेटर की सूची	**XIII**
1	**भारत में ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का इतिहास**	**1**
2	**पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं**	**5**
	2.1 लक्ष्य और उद्देश्य	7
	2.2 पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं	7
3	**वित्तीय प्रबंधन और लक्ष्य**	**11**
	3.1 योजना लागत का वहन	13
	3.2 योजना निधियों का आवंटन	13
	3.3 प्रशासनिक व्यय	14
	3.4 सामाजिक आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण	15
	3.5 अधिकार प्राप्त समिति	16
	3.6 वार्षिक कार्य योजना	17
4	**लाभार्थियों का निर्धारण और चयन**	**19**
	4.1 पात्र लाभार्थियों का दायरा	21
	4.2 लाभार्थियों के दायरे में प्राथमिकता का निर्धारण	21
	4.3 प्राथमिकता सूचियों की तैयारी	22
	4.4 ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूचियों का सत्यापन	23
	4.5 शिकायत निवारण	24
	4.6 प्राथमिकता सूची का अद्यतनीकरण	25

अध्याय	विषय और उप–शीर्ष		पेज न.
	4.7	वार्षिक चयन सूचियों की तैयारी	26
5	**मकान निर्माण**		**27**
	5.1	लाभार्थी को इकाई सहायता	29
	5.2	लाभार्थी के लिए भूमि की टैगिंग और क्षेत्रीय कर्मियों एवं राज मिस्त्रियों की मैपिंग	30
	5.3	लाभार्थी को स्वीकृति पत्र जारी करना	30
	5.4	लाभार्थी को पहली किश्त की रिलीज	31
	5.5	निर्माण की पद्धति	31
	5.6	लाभार्थी द्वारा मकान निर्माण पूरा करने के लिए समय–सीमा	32
	5.7	लाभार्थियों को सहायता राशि की रिलीज	32
6	**लाभार्थी सहायता सेवाएं**		**35**
	6.2.1	लाभार्थियों के लिए संचेतना कार्यशाला का आयोजन	37
	6.2.2	मकान डिजाइन टाइपोलॉजी तैयार करना	38
	6.2.3	राजमिस्त्री प्रशिक्षण और प्रमाणन	39
	6.2.4	निर्माण सामग्री के एकीकृत स्रोत्र के लिए योजना	40
	6.2.5	वृद्ध एवं विकलांग लाभार्थियों को सहायता	41
	6.2.6	बैंको से 70,000 रूपए तक की ऋण सुविधा	41
7	**कार्यान्वयन एवं सहायता तंत्र**		**43**
	7.1	ग्रामीण आवास के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी	45
	7.2	राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता	46
	7.3	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयां	46
	7.3.1.1	राज्य स्तरीय	46

अध्याय	विषय और उप–शीर्ष		पेज न.
	7.3.1.2	जिला–स्तरीय	48
	7.3.1.3	ब्लॉक स्तरीय / ब्लॉक स्तरीय पंचायत	49
	7.3.1.4	ग्राम / ग्राम पंचायत स्तरीय	50
	7.4	राज्य एवं जिला–स्तरीय समितियाँ	50
	7.5	ग्राम पंचायत की भूमिका	51
	7.6	एनआरएलएम से मान्यता प्राप्त स्व–सहायता समूहों की भूमिका	53
8	**तालमेल**		**55**
9	**सूचना एवं निगरानी निष्पादन**		**61**
	9.1	रिपोर्टिंग	63
	9.2	निष्पादन	63
	9.3	निगरानी (मानिटरिंग)	64
	9.4	समुदाय / भागीदारीपरक निगरानी	65
	9.5	लेखा–परीक्षा	66
	9.6	सामाजिक लेखा–परीक्षा	66
10	**निधि प्रबंधन और रिलीज**		**71**
	10.1	मूल सिद्धांत	73
	10.2	निधि की रिलीज और लेखांकन	75
	10.3	प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण और निधियों की रिलीज	76
	10.4	पहली किश्त की रिलीज की प्रक्रिया	76
	10.5	दूसरी किश्त की रिलीज की प्रक्रिया	76
	10.6	राज्य अंश की रिलीज	79
	10.7	राज्य समेकित निधि से राज्य नोडल खाते में निधियों का अंतरण	79

विषय–सूची

अध्याय	विषय और उप–शीर्ष		पेज न.
	10.8	पुनः आवंटन	79
	10.9	प्रशासनिक व्यय	80
11	**विशेष परियोजनाएं**		**81**
	11.1	विशेष परियोजनाओं के लिए आवंटन	83
	11.2	विशेष परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव	84
	11.3	विशेष परियोजनाओं के लिए निधियां	84
	11.4	विशेष परियोजना के अंतर्गत निधियों की रिलीज की प्रक्रिया	85
	11.5	विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय	86
12	**शिकायत निवारण**		**87**
13	**पीएमएवाई–जी में ई–शासन**		**91**
	13.1	आवाससॉफ्ट	93
	13.2	विभिन्न स्तरों पर पीएमएवाई–जी का प्रबंधन	98
	13.3	डाटा एंट्री की प्रक्रिया	98
	13.4	आवाससॉफ्ट के जरिए निधि प्रवाह	99
	13.5	आवाससॉफ्ट पर प्रगति की निगरानी	102
	13.6	पी–एफएमएस के माध्यम से लेन–देन	102
	13.7	मोबाइल एप्लीकेशनः आवाससॉफ्ट	104
14	**अनुबंध**		**105**

कार्यकारी सारांश

1. स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से अब तक गरीबी उपशमन के साधन के रूप में यह सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। जनवरी 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक ग्रामीण आवास कार्यक्रम शुरू किया गया। यद्यपि आईएवाई ग्रामीण क्षेत्रों में मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करती है फिर भी वर्ष 2014 में समवर्ती मूल्यांकन और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की निष्पादन लेखा–परीक्षा के दौरान कतिपय कमियों का पता चला था। ये कमियां अर्थात् मकान की कमी का निर्धारण न कर पाना, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, मकान की खराब गुणवत्ता और तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, तालमेल का अभाव, लाभार्थियों को ऋण ना मिलना और निगरानी की कमजोर प्रणाली इस कार्यक्रम के प्रभाव और परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी।

2. ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने के लिए और 2022 तक 'सभी को मकान' उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना को 1.4.2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) में पुनर्गठित कर दिया गया है।

3. पीएमएवाई–जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसका वर्तमान उद्देश्य 2016–17 से 2018–19 तक 3 वर्षों में कच्चे/टूटे–फूटे मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करना है। साफ–सुथरे रसोई घर के साथ मकान के न्यूनतम आकार को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर (20 वर्ग मीटर से) कर दिया गया है। इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू. तथा पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75,000 रू. से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. कर दिया गया है। लाभार्थी मनरेगा से 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी प्राप्त करने के हकदार है। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम–जी, मनरेगा योजना या वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप के जरिए पेयजल, बिजली के कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत तालमेल के भी प्रयास किए जाएंगे।

4. इकाई सहायता की लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के आधार पर तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर किया जाएगा। पीएमएवाई–जी के लिए निधियों के वार्षिक प्रावधान में से 95% निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई–जी के अंतर्गत नए मकानों के निर्माण के लिए रिलीज की जाएंगी। इसमें प्रशासनिक व्यय के लिए दिया गया 4% आवंटन भी शामिल होगा। बजट अनुदान की 5 प्रतिशत राशि केंद्रीय स्तर पर विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित निधि के रूप में रखी जाएगी। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई वार्षिक कार्य योजना के आधार पर राज्यों को वार्षिक आवंटन किया जाएगा और राज्यों/सं. रा. क्षेत्रों को दो किश्तों में निधियां रिलीज की जाएंगी।

5. लाभार्थियों का चयन पीएमएवाई–जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। वास्तव में लाभ से वंचित लाभार्थियों को भी सहायता मिले और लाभार्थियों का चयन उद्देश्यपरक एवं जांचे जाने योग्य हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पीएमएवाई–जी में बीपीएल परिवारों में से लाभार्थी का चयन करने की बजाय समाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी), 2011 में उल्लिखित मकानों की कमी संबंधी मानदंडों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों का चयन किया जाता है जिसकी ग्रामसभा द्वारा जांच की जाती है। एसईसीसी आकड़ों में मकान से संबंधित विशिष्ट अपवर्जन को दर्ज किया जाता है। इसी आकड़ें का उपयोग करते हुए बेघर तथा शून्य, एक और दो कमरे की कच्ची छतों तथा कच्ची दीवारों के मकानों में रहने वाले परिवारों को अलग किया जाता है और उन्हें लक्षित किया जाता है। स्थायी प्रतीक्षा सूची से यह भी सुनिश्चित होता है कि राज्य के पास आगामी वर्षों में योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए परिवारों की तैयार सूची (वार्षिक चयन सूचियों के माध्यम से) हो ताकि क्रियान्वयन की बेहतर प्लानिंग की जा सके। लाभार्थी के चयन में शिकायतों को दूर करने के लिए एक अपीलीय प्रक्रिया भी बनाई गई है।

6. निर्माण की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। अच्छे मकानों के निर्माण में एक बड़ी अड़चन थी–कुशल राजमिस्त्रियों की कमी। इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में अखिल भारत स्तर पर राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा निर्माण सुनिश्चित होने के अलावा इससे ग्रामीण राजमिस्त्रियों के लिए अतिरिक्त आजीविका अर्जन और करियर प्रोग्रेशन भी सुनिश्चित होगा। समय पर निर्माण/समापन और अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के सरकारी कर्मी और ग्रामीण राजमिस्त्री के साथ पीएमएवाई–जी लाभार्थी को टैग करने की भी परिकल्पना की गई है।

7. लाभार्थी को उनकी स्थानीय परिस्थितियों तथा आपदारोधी विशेषताओं हेतु उपयुक्त आवास प्रारूप टाईपोलोजी का समूह (बुके) प्रस्तुत किया जाएगा। इन प्रारूपों का विकास गहन जन परामर्श प्रक्रिया द्वारा किया गया है। इस प्रयोग द्वारा लाभार्थी द्वारा निर्माण के आरम्भिक चरणों में अधिनिर्माण रोकना सुनिश्चित किया जा सकेगा, जो कि बहुधा अधूरे निर्माण या लाभार्थी को आवास निर्माण पूर्ण करने हेतु नकद ऋण लेने हेतु विवश करता है।

8. पीएमएवाई–जी में कार्यक्रम का क्रियान्वयन और उसकी निगरानी ई.गवर्नेंस मॉडल–आवास सॉफ्ट तथा आवास एप–के माध्यम से एंड टू एंड की जाएगी। आवास सॉफ्ट वर्क–फ्लो आधारित, वेब–आधारित इलेक्ट्रोनिक रूप से सेवा प्रदाय का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लाभार्थी की पहचान से लेकर निर्माण से जुड़ी सहायता (पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से) उपलब्ध कराने तक योजना के समस्त महत्वपूर्ण कार्य संपादित किये जायेंगे। मकान के तारीख और टाइम स्टैम्प्ड तथा जियो रिफरेंस्ड फोटोग्राफो के माध्यम से साक्ष्य आधारित प्रगति की सही समय पर निगरानी करने के लिए आवास एप का उपयोग किया जाएगा। ये दोनों आईटी एप्लिकेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान लक्ष्यों की उपलब्धि में कमियों का निर्धारण करते हैं। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को सभी तरह का भुगतान आवास सॉफ्ट एमआईएस में दर्ज लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में किया जाना है।

9. राज्यों ने अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ तालमेल सहित पीएमएवाई –जी की अपनी–अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार कर ली है। पीएमएवाई–जी के साथ तालमेल किए जाने वाले कार्यक्रम में जानकारी का सही समय पर सिस्टम टू सिस्टम अंतरण करके पीएमएवाई–जी में तालमेल की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है।

10. इच्छुक लाभार्थी को संस्थानों से 70,000 रू. तक की निधियां उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी जिसकी एसएलबीसी और बीएलसीसी के माध्यम से निगरानी की जाएगी।

11. कार्यक्रम की न केवल इलेक्ट्रानिक तरीके से बल्कि सामुदायिक भागीदारी (सामाजिक लेखा–परीक्षा), संसद सदस्यों (दिशा–समिति), केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी कर्ताओं के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी।

संक्षिप्तियां

क्र.सं.	संक्षिप्तियां	पूरा नाम
1.	पीएमएवाई–जी	प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण
2.	सीडीएम	समुदाय विकास आंदोलन (कम्युनिटी डेवलपमेंट मूवमेंट)
3.	वीएचपी	ग्राम आवास कार्यक्रम
4.	एचएससीएएस	आवास स्थल–सह–निर्माण सहायता योजना
5.	एनआरईपी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
6.	आरएलईजीपी	राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
7.	जेआरवाई	जवाहर रोजगार योजना
8.	आईएवाई	इंदिरा आवास योजना
9.	बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
10.	स्क्वा.मीटर	वर्ग मीटर
11.	एमजीएनआरईजीए	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
12.	एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना
13.	एनटीएसए	राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी
14.	एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
15.	यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
16.	सीआरपी	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
17.	पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन एकक
18.	एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
19.	एसएचजी	स्व–सहायता समूह
20.	एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
21.	आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार

संक्षिप्तियां

क्र.सं.	संक्षिप्तियां	पूरा नाम
22.	आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
23.	एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
24.	एसटीएसए	राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी
25.	एससी	अनुसूचित जाति
26.	एसटी	अनुसूचित जनजाति
27.	डीएवाई–एनआरएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
28.	पीडब्ल्यूएल	स्थायी प्रतीक्षा सूची
29.	क्यूपी	क्वॉलिफिकेशन पैक
30.	एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
31.	डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशक
32.	सीएसडीसीआई	भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद
33.	एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
34.	डीएलबीसी	जिला स्तरीय बैंकर्स समिति
35.	बीएलबीसी	ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति
36.	एनआरआरडीए	राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
37.	पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
38.	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
39.	ईसी	अधिकार–प्राप्त समिति
40.	एसएनए	राज्य नोडल खाता
41.	एएपी	वार्षिक कार्य योजना
42.	एसबीएम–जी	स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण

संक्षिप्तियां

क्र.सं.	संक्षिप्तियां	पूरा नाम
43.	एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
44.	डीडीयूजीजेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
45.	एनबीसीपी	राष्ट्रीय बायोमास कुक स्टोर कार्यक्रम
46.	पीएमयूवाई	प्रधान मंत्री उज्जवला योजना
47.	सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक जवाबदेही
48.	एससीबी	अधिसूचित वाणिज्य बैंक
49.	सीबीएस	कोर बैंकिंग सॉल्यूशन
50.	एसएनए	राज्य नोडल खाता
51.	एफटीओ	निधि अंतरण आदेश
52.	सीपीजीआरएएमएस	केंद्रीकृत लोक शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली

सेपरेटर की सूची

1. **असम के लिए मकान का डिजाइन**
भूकंप को झेलने के लिए क्षैतिज आरसीसी बैंड के साथ आरसीसी की मदद से आधी ईंट जितनी मोटी दीवार वाले ईंट के मकान के डिजाइन की सिफारिश की गई।

2. **छत्तीसगढ़ के लिए मकान का डिजाइन**
उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली पहाड़ी श्रृंखला मैकाल–सतपुड़ा के पादगिरि से सटे क्षेत्रों के लिए डिजाइन।

3. **हिमाचल प्रदेश के लिए मकान का डिजाइन**
लाहौल–स्पीति और किन्नौर जिलों के लिए मकान के डिजाइन की सिफारिश की गई।

4. **झारखंड के लिए मकान का डिजाइन**
कच्ची ईंट की दीवार, आरसीसी छत और बरामदा के लिए बांस की छत के साथ झारखंड के लिए सामान्य आकार का मकान।

5. **मणिपुर के लिए मकान का डिजाइन**
बरामदायुक्त एल–शेप के मकान जैसा कि परंपरागत नागा जनजातीय मकानों में उठे हुए फर्श के साथ–साथ लकड़ी की फ्लोरिंग वाले मकानों में होता है।

6. **मेघालय के लिए मकान का डिजाइन**
खासी, भोई और जैंतिया गांवों के लिए बांस इकरा की दीवार वाले ऊंचे बांस के मकान।

7. **उत्तर प्रदेश के लिए मकान का डिजाइन**
उत्तर प्रदेश में अधिक भूकंपी जोखिम और आंधी वाले क्षेत्रों में सपाट स्लैब बनाने के लिए नए फेरो सीमेंट चैनलों वाले डिजाइन की सिफारिश की गई है।

8. **ओडिशा के लिए मकान का डिजाइन**
शहरी क्षेत्रों से सटे इलाकों के लिए उपयुक्त ऊर्ध्व विस्तारण के लिए सीढ़ी के साथ सपाट छत के आरसीसी फ्रेम वाले मकान का डिजाइन।

9. **राजस्थान के लिए मकान का डिजाइन**
बाड़मेर, पाली, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के लिए इस डिजाइन की सिफारिश की गई है।

10. छत्तीसगढ़ के लिए मकान का डिजाइन
टेराकोटा छत और मिट्टी के गारा वाले मकानों की डिजाइन।

11. उत्तर प्रदेश के लिए मकान का डिजाइन
रैट ट्रॅप बॉन्ड पर फ्लाई ऍश का इस्तेमाल करते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए डिजाइन।

12. प. बंगाल के लिए मकान का डिजाइन
उच्च तापमान वाले क्षेत्रों और भूकंपी क्षेत्र 3 में आने वाले क्षेत्रों के साथ–साथ गंगा बाढ़ समतल क्षेत्र के लिए डिजाइन।

13. छत्तीसगढ़ के लिए मकान का डिजाइन
दक्षिणी छत्तीसगढ़ में चौखंडी तरीके से बने प्रस्तावित डिजाइन ।

14. प. बंगाल के लिए मकान का डिजाइन
हल्की निर्माण सामग्रियों का उपयोग करते हुए भूकंपी क्षेत्र 4 और 5 के लिए प्रस्तावित डिजाइन।

01

भारत में ग्रामीण आवास कार्यक्रम का इतिहास

1. असम के लिए मकान का डिजाइन

भूकंप को झेलने के लिए क्षैतिज आरसीसी बैंड के साथ आरसीसी की मदद से आधी ईंट जितनी मोटी दीवार वाले ईंट के मकान के डिजाइन की सिफारिश की गई।

भारत में ग्रामीण आवास कार्यक्रम का इतिहास

1.1 स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु देश में एक सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 1960 तक भारत के विभिन्न भागों में लगभग 5 लाख परिवारों को मकान उपलब्ध कराए गए।

1.2 सामुदायिक विकास आंदोलन (सीडीएम) के भाग के रूप में वर्ष 1957 में एक ग्रामीण आवास कार्यक्रम (वीएचपी) शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत व्यक्तियों और सहकारिता समितियों को प्रति आवास 5,000 रू. तक का ऋण प्रदान किया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना (1974–1979) के अंत तक इस योजना के अंतर्गत केवल 67,000 आवास ही बनाए जा सके थे। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974) में आवासों के लिए जमीन–सह–निर्माण सहायता योजना (एचएससीएएस) नामक एक अन्य योजना शुरू की गई जो वर्ष 1974–75 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दी गई थी।

1.3 भारत में ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी–1980) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी–1983) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हुई थी क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनु. जाति/अनु. ज.जा. और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी। जून, 1985 में आरएलईजीपी की उप–योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया । जब अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) शुरू की गई थी तब इसकी 6 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए आबंटित की जाती थीं। 1993–94 में जेआरवाई के अंतर्गत मकानों के लिए निर्धारित निधियों को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करते हुए गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। अतिरिक्त 4 प्रतिशत निधियों का उपयोग गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाना था।

1.4 1 जनवरी, 1996 से इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) को एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करना था। यद्यपि ग्रामीण आवास की कमी की पूर्ति हुई है, तथापि इसके क्रियान्वयन के 30 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कार्यक्रम के अंतर्गत, कवरेज के सीमित दायरे को देखते हुए, ग्रामीण आवास परिदृश्य में अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

1.5 वर्ष 2022 तक "सभी को मकान' उपलब्ध कराने के प्रति सरकार वचनबद्ध है। ग्रामीण आवास परिदृश्य में इस कमी को दूर करने तथा सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आईएवाई योजना को 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है।

02

पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं

2. छत्तीसगढ़ के लिए मकान का डिजाइन

उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली पहाड़ी श्रृंखला मैकाल–सतपुड़ा के पादगिरि से सटे क्षेत्रों के लिए डिजाइन।

पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं

2.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

2.1.1 पीएमएवाई–जी के अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 'सब के लिए घर' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2021–22 तक 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक के तीन वर्षों में बेघर परिवारों या कच्चे/जीर्ण–शीर्ण मकानों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना तथा स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनों तथा प्रशिक्षित राज मिस्त्रियों का उपयोग करते हुए अच्छे मकानों के निर्माण में मदद करना है। मकान को घर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल के माध्यम से पर्यावास दृष्टिकोण अपनाए जाने का प्रस्ताव है।

2.2 पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं

क. वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्ष की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.00 करोड़ आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराना।

ख. आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर (आईएवाई के अंतर्गत) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जाना जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।

ग. मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को 70,000 रू. से बढ़ाकर 1.20 लाख रू और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं आईएपी जिलों में 75,000 रू. से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. करना।

घ. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के आधार पर तथा पूर्वोत्तर और तीन हिमालयी राज्यों (जम्मू– कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में 90:10 के आधार पर किया जाता है।

ङ. स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी) व मनरेगा के साथ तालमेल के जरिए या किसी अन्य समर्पित स्रोत से शौचालयों के लिए सहायता (12,000 रू.) का प्रावधान।

च. इकाई सहायता के अलावा, आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान।

छ. ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का निर्धारण और चयन मकानों की कमी और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में दर्शाए गए अन्य सामाजिक अपवर्जन मानदण्डों के आधार पर ।

ज. इस कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (एनटीएसए) की स्थापना जो पीएमएवाई–जी के लाभार्थी को, वित्तीय सहायता के अलावा, मकान के निर्माण में तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई जाएगी।

झ. यदि लाभार्थी चाहे तो उन्हें वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रू. तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी।

ञ. अधिकार–प्राप्त समिति के अनुमोदन पश्चात ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष परियोजनाएं मंजूर की जाएंगी।

ट. बुनियादी सुविधाओं अर्थात शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ व एफिसियेंट ईंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करना।

ठ. लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किया जाएगा, जिसमें वे खाते भी शामिल हैं जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या की समबद्धता कर दी गयी है।

ड. पीएमएवाई–जी के संबंध में लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी (ओरियेंटेशन) उपलब्ध कराना।

ढ. स्थानीय सामग्रियों, डिजाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा अच्छे आवास के निर्माण पर ध्यान देना।

ण. जहां कहीं भी संभव हो वहां ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिले को इकाई मानते हुए सेचुरेशन दृष्टिकोण अपनाना।

पीएमएवाई–जी की मुख्य विशेषताएं

03

वित्तीय प्रबंधन और लक्ष्य

3. हिमाचल प्रदेश के लिए मकान का डिजाइन

लाहौल–स्पीति और किन्नौर जिलों के लिए मकान के डिजाइन की सिफारिश की गई।

वित्तीय प्रबंधन और लक्ष्य

3.1 योजना लागत का वहन

3.1.1 वर्ष 2018–19 तक एक करोड़ मकानों के निर्माण के लिए पीएमएवाई–जी कार्यक्रम की कुल लागत 1,30,075 करोड़ रू. है। इस लागत का वहन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के आधार पर किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालय राज्यों अर्थात जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में यह अनुपात 90:10 है। संघ शासित क्षेत्रों के मामले में पूरी लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी।

3.1.2 कार्यक्रम की कुल लागत में केंद्रीय अंश 81,975 करोड़ रू. होगा जिसमें से 60,000 करोड़ रू. की पूर्ति बजटीय सहायता से की जाएगी और शेष 21,975 करोड़ रू. की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण लेकर की जाएगी जिसका परिशोधन 2022 के बाद बजटीय अनुदान से किया जाएगा।

3.2 योजना निधियों का आवंटन

3.2.1 पीएमएवाई–जी के अंतर्गत वार्षिक प्रावधान से 95 प्रतिशत निधियां राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत नए मकानों के निर्माण के लिए आवंटित की जाएंगी जिसमें प्रशासनिक खर्च के लिए दिया गया 4% आवंटन शामिल होगा। बजट अनुदान का 5 प्रतिशत केंद्रीय स्तर पर विशेष परियोजनाओं के लिए आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा।

3.2.2 राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों को दिया जाने वाला वार्षिक आवंटन ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना पर आधारित होगा। वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक तीन वर्षों में राज्य/सं.शा. क्षेत्र–वार बनाए जाने वाले मकानों की कुल संख्या का निर्धारण राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों में ग्राम सभा/विलेज सभा या संबंधित राज्य/सं.शा.क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व–शासन की सबसे निम्नतम इकाई द्वारा जाँच प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात किया जायेगा। मंत्रालय द्वारा सूचित तीन वर्षों के लक्ष्य में से राज्य/सं.शा.क्षेत्र द्वारा वार्षिक लक्ष्य प्रस्तावित किया जा सकता है।

3.3 प्रशासनिक व्यय

3.3.1 राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों में से 4% राशि का उपयोग योजना संचालन हेतु किया जाएगा। यह 4 प्रतिशत राशि कार्यक्रम निधि के अतिरिक्त है। 0.5% तक की राशि राज्य स्तर पर रखी जा सकती है और शेष 3.5% निधियों का वितरण जिलों को उनके लक्ष्यों के अनुपात में किया जाएगा। प्रशासनिक व्यय का वहन केंद्र और राज्यों के बीच उसी अनुपात में किया जाएगा जैसा कि मुख्य कार्यक्रम व्यय में लागू है। प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत कार्य के जिन मदों को किए जाने की अनुमति दी गई है वे इस प्रकार हैं:

क. लाभार्थियों को पर्यावास एवं मकानों के बारे में आवश्यक जानकारी देने तथा उन्हें जागरूक करने वाले कार्यकलाप।

ख. प्रदर्शन हेतु मकान टाइपोलॉजी का प्रोटोटाइप तैयार करना।

ग. आवाजाही, सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर), संचार प्रणाली, कार्यालय के फुटकर खर्चों इत्यादि सहित योजना के क्रियान्वयन की सर्वेक्षण एवं निगरानी लागत।

घ. संविदा कार्मिकों को रखने सहित पीएमयू की स्थापना तथा इसके संचालन की लागत।

ड़. राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण एवं उन्हें प्रमाण–पत्र दिए जाने संबंधी लागत।

च. सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) अर्थात एनआरएलएम का अनुपालन करने वाले एसएचजी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और गैर–सरकारी संगठनों का प्रशिक्षण।

छ. सामाजिक लेखा परीक्षा और आईईसी कार्यकलाप।

ज. सीआरपी को मानदेय तथा एनजीओ के लिए सेवा प्रभारों का भुगतान।

झ. ज्ञान अर्जन हेतु प्रदर्शन दौरों सहित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों का प्रशिक्षण।

ण. वस्तु स्थिति ज्ञात करने तथा मूल्यांकन अध्ययन सहित अन्य अध्ययन कराना।

ट.. आवासों से संबंधित अभिनव प्रौद्योगिकियों और कार्यों को दर्शाने की लागत।

ठ. राज्य तकनीकी सहायता एजेंसी के रूप में आईआईटी/एनआईटी या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की सेवाएं लेने की लागत।

ड. पीएमएवाई–जी आवासों के निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी से संबंधित लागत।

3.4 लक्ष्यों का निर्धारण

3.4.1 राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 60% लक्ष्य को बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य/सं.शा. क्षेत्र को आवंटित लक्ष्यों का 60% एसईसीसी 2011 के अंतर्गत पात्र पीएमएवाई–जी लाभार्थियों, जिन्हें ग्राम सभा द्वारा जाँच किया गया हो, की उपलब्धता के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। निर्धारित लक्ष्यों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुपात का निर्णय संबंधित राज्यों द्वारा समय–समय पर किया जाना है। अपने–अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुपात पर निर्णय लेने के पश्चात राज्य इसकी सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय को देंगे। इसके अलावा, यदि किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं हैं व इस आशय का प्रमाण–पत्र राज्य/सं.शा. क्षेत्र द्वारा दे दिया जाता है तो राज्यों/सं. शा. क्षेत्रों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्यों को आपस में बदलने की अनुमति दे दी जाएगी। यदि सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को लाभान्वित कर दिया जाता है तो स्थायी प्रतीक्षा सूची में से 'अन्य' श्रेणी के परिवारों के लाभार्थियों को शामिल किया जा सकता है।

3.4.2 उपरोक्त निर्धारण केवल उस न्यूनतम सीमा को दर्शाएगा जिसे हासिल किया जाना है और यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र चाहे तो वे सेचुरेशन सुनिश्चित करने के लिए इन श्रेणियों के अंतर्गत लक्ष्यों को बढ़ा सकते हैं। ऐसा श्रेणीवार सेचुरेशन कमजोर तथा लाभ से वंचित समूहों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किए जाने के दृष्टिकोण से ही किया जाएगा।

3.4.3 इसके अलावा, जहां तक संभव हो, कुल निधियों की 15% राशि राष्ट्रीय स्तर पर एसईसीसी 2011 के अनुसार कवर किए जाने वाले परिवारों, जिन्हें ग्राम सभा द्वारा मानित किया गया हो, के अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित की जाएगी। संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों की समानुपातिक आबादी के आधार पर राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्यों का आवंटन किया जाएगा। तथापि, ग्राम सभा द्वारा

एसईसीसी आंकड़ों के सत्यापन के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार किए जाने के बाद प्रत्येक राज्य/सं.रा.क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के लक्ष्य की फिर से गणना की जाएगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक इस लाभ को पाने के लिए पात्र माने जाएंगे।

3.4.4 राज्य विशेष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लाभार्थियों को पूरी तरह लाभान्वित कर दिए जाने के पश्चात मंत्रालय को इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए ताकि अगले वित्त वर्ष के दौरान उस राज्य में उस विशेषः श्रेणी के लिए और लक्ष्य आवंटित नहीं किया जाये।

3.4.5 राज्य ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला को एक इकाई के रूप में इस्तेमाल करते हुए सेचुरेशन दृष्टिकोण अपना सकते हैं। एसएजीवाई ग्राम पंचायतों, रर्बन क्लस्टरों, खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्राम पंचायतों और उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त सामाजिक पूंजी तैयार कर ली गई हो। सेचुरेशन दृष्टिकोण में सर्वेक्षण, राजमिस्त्रियों एवं सामग्री की उपलब्धता तथा व्यापक बसावट आयोजना की स्थिति बेहतर बनती है।

3.4.6 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, पीएमएवाई–जी योजना में सहायता पाने वाले लाभार्थियों के बीच पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्णय लेते समय ऐसे परिवारों, जिनमें विकलांग सदस्य हैं और कोई भी सक्षम वयस्क सदस्य नहीं हैं, को अतिरिक्त अपवर्जन स्कोर दिए गए हैं ताकि मकानों की सूची बनते समय ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जा सके। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य यथासंभव यह सुनिश्चित करें कि राज्य स्तर उपलब्धता की स्थिति में 3% लाभार्थी निःशक्त व्यक्तियों में से हों।

3.5 अधिकार प्राप्त समिति

3.5.1 राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करने के लिए सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में अधिकार–प्राप्त समिति गठित की जाएगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

क. अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

ख. संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

ग. सलाहकार, नीति आयोग

घ. हुडको के प्रतिनिधि

ङ. संबंधित राज्य में ग्रामीण आवास के प्रभारी सचिव

च. आंतरिक वित्त प्रभाग के प्रतिनिधि।

समिति अपनी बैठकों में सहायता के लिए जरूरत पड़ने पर किसी अन्य व्यक्ति का मनोनयन भी कर सकती है।

3.5.2 अधिकार–प्राप्त समिति के अन्य कार्य इस प्रकार हैं:

क. विशेष परियोजनाएं स्वीकृत करना

ख. 'दुर्गम क्षेत्रों' के निर्धारण के लिए राज्य के मानदंडों को अनुमोदित करना

ग. कार्यक्रम की समीक्षा करना और अध्ययनों के सुझाव देना इत्यादि।

घ. लक्ष्यों का पुनः निर्धारण

ङ. वित्तीय सहायता के बदले निर्माण सामग्री की आपूर्ति और कार्यविधि की मंजूरी देना

3.6 वार्षिक कार्य योजना

3.6.1 राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों को पीएमएवाई–जी के क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में अन्य बातों के साथ–साथ स्वीकृत मकानों को समय पर पूरा करने के लिए रोडमैप और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल सुनिश्चित करना शामिल होगा।

3.6.2 राज्यों की वार्षिक कार्य योजना में जिले–वार योजना को शामिल किया जाना चाहिए जिसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को पूरी तरह लाभान्वित करने के लिए अपनाई गई कार्यनीति का उल्लेख किया गया हो। जिला–वार योजना में अन्य बातों के साथ–साथ राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्माण सामग्री के स्रोत, लाभार्थियों के लिए ऋण की सुविधा, आवास टाइपोलॉजी तैयार करना और इसके प्रचार–प्रसार की योजना, लाभार्थी को जानकारी दी जाने वाली कार्यशालाओं तथा विभिन्न योजनाओं के तालमेल से लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाओं का भी उल्लेख किया जाये।

04

लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

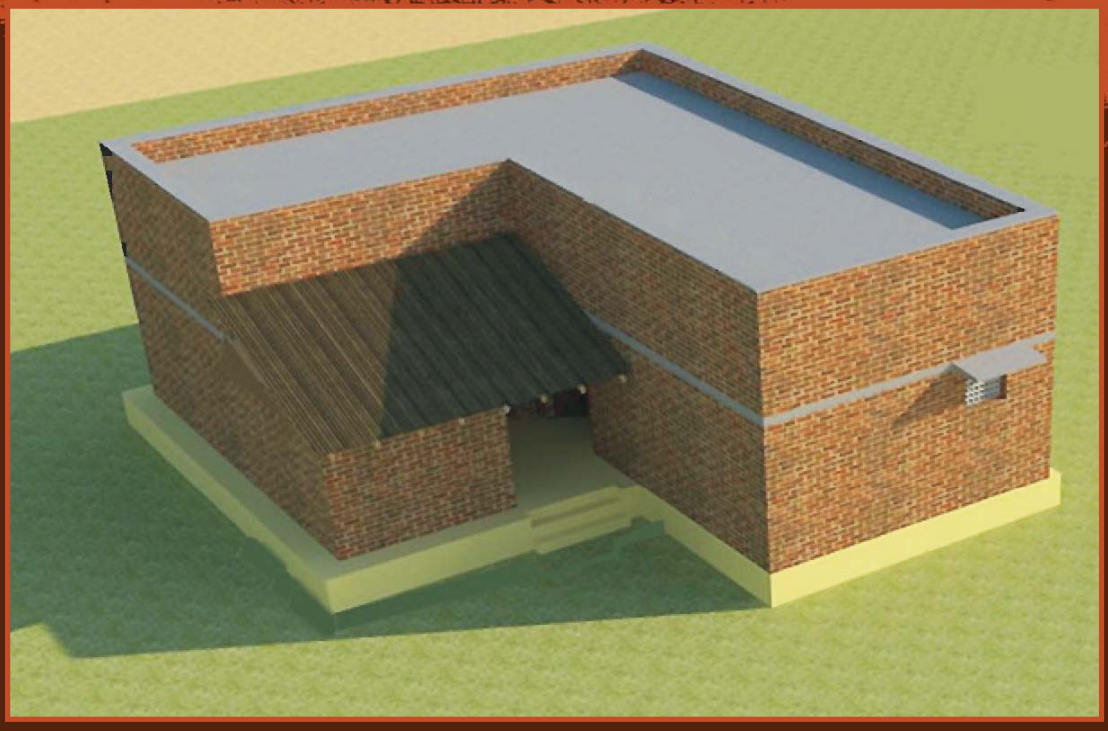

4. झारखंड के लिए मकान का डिजाइन

कच्ची ईंट की दीवार, आरसीसी छत और बरामदा के लिए बांस की छत के साथ झारखंड के लिए सामान्य आकार का मकान।

लाभार्थियों का निर्धारण और चयन

4.0 'सभी के लिए आवास' के लक्ष्य की पूर्ति के लिए लाभार्थियों के निर्धारण और चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता होना नितांत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का लक्ष्य वास्तव में वंचित लोग ही हों और चयन वस्तुपरक एवं सत्यापन योग्य हो, परिवारों का निर्धारण एसईसीसी 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव को दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर किया जाएगा तत्पश्चात ग्राम सभा द्वारा मान्यीकरण किया जयेगा।

4.1 पात्र लाभार्थियों का दायरा

पीएमएवाई(जी) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में बीपीएल सूची के स्थान पर एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार सभी बेघर परिवार और अनुबंध–। में दर्शाई गई बहिर्वेशन प्रक्रिया के अधीन शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और/या कच्ची छ्त युक्त मकानों में रहने वाले परिवार शामिल होंगे।

4.2 लाभार्थियों के दायरे में प्राथमिकता का निर्धारण

4.2.1 पीएमएवाई(जी) के पात्र लाभार्थियों के दायरे में विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। सबसे पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसी प्रत्येक श्रेणी में आवास अभाव दर्शाने वाले पैरामीटरों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। आरंभ में बेघर परिवारों और उनके बाद कमरों की संख्या शून्य, एक और दो कमरों के आधार पर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य जैसी विशिष्ट सामाजिक श्रेणी में बेघर परिवार या अपेक्षाकृत कम कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को उनसे अधिक कमरे वाले मकानों में रहने वाले परिवारों से कम प्राथमिकता नहीं दी जा सकेगी।

4.2.2 उपर्युक्त प्राथमिकता प्राप्त समूहों में एसईसीसी 2011 में यथापरिभाषित (अनुबंध–। में दर्शाए गए मानदण्ड) 'अनिवार्य अंतर्वेशन' के मानदण्डों की पूर्ति करने वाले परिवारों को प्राथमिकता

के क्रम में आगे बढ़ाया जाएगा। स्वतः अंतर्वेशित परिवारों को प्राथमिकता प्राप्त समूह में शामिल अन्य परिवारों से कम प्राथमिकता नही दी जाएगी। स्वतः अंतर्वेशित या अन्य स्थिति में दो उप–समूहों अर्थात परिवारों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण उनके सकल अपवर्जन संबंधी अंकों के आधार पर किया जाएगा। इन अंकों की गणना आगे दर्शाए गए सामाजिक–आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर की जाएगी और इनमें से प्रत्येक पैरामीटर को समान भार (वेटेज) दी जाएगीः

क. ऐसे परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।

ख. महिला मुखियाओं वाले ऐसे परिवारों, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो

ग. ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य न हो

घ. ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य निशक्त जन हो या जिनका कोई भी वयस्क सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम न हो।

ड. अपनी अधिकांश आय का अर्जन दिहाड़ी मजदूरी से करने वाले भूमिहीन परिवार।

4.2.3 अधिकतम अपवर्जन अंक वाले परिवारों को उस उप समूह में उच्च वरीयता दी जयेगी।

4.3 प्राथमिकता सूचियों की तैयारी

पैरा सं. 4.2 में उल्लिखित प्राथमिकता के सिद्धांतों की पूर्ति करने के पश्चात प्रत्येक ग्राम पंचायत/काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व–शासन की सबसे निम्नतम इकाई के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य और अल्पसंख्यक वर्गों की अलग–अलग प्राथमिकता सूचियां पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाएंगी। सिस्टम से तैयार होने वाली श्रेणी–वार प्राथमिकता सूची कार्यक्रम एमआईएस – आवाससॉफ्ट से डाउनलोड की जा सकती है। तत्पश्चात ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जाएंगी।

4.4 ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूचियों का सत्यापन

4.4.1 आवास सौफ्ट द्वारा श्रेणी–वार तैयार की गई प्राथमिकता सूचियां उपलब्ध कराए जाने और उपयुक्त रूप से प्रकाशित किए जाने के बाद ग्राम सभा/विलेज काउंसिल या संबंधित राज्य/सं.रा.क्षेत्र पंचायत अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व–शासन की सबसे निम्नतम इकाई की बैठक आयोजित की जाएगी इसे आगे ग्राम सभा से संदर्भित किया जायेगा। ग्राम सभा उन तथ्यों का सत्यापन करेगी जिनके आधार पर परिवार का निर्धारण पात्र परिवार के रूप में किया गया है। यदि अंतर्वेशन गलत तथ्यों के आधार पर किया गया हो या यदि सर्वेक्षण के बाद परिवार ने पक्के आवास का निर्माण कर लिया हो या परिवार को किसी सरकारी योजना के अधीन आवास मकान आवंटित कर दिया गया हो या परिवार किसी अन्य स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस गया हो या बिना किसी उत्तराधिकारी की उसकी मृत्यु हो गई हो तो ग्राम सभा ऐसे परिवारों के नाम सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची से हटा देगी। सूची से हटाए गए परिवारों की सूची और उन परिवारों को हटाए जाने के कारण ग्राम सभा के कार्यवृत्त में शामिल किए जाएंगे।

4.4.2 यदि किसी उप–समूह में एक से अधिक परिवारों के अपवर्जन संबंधी अंक बराबर हों तो ग्राम सभा आगे दर्शाए गए पैरामीटरों के आधार पर उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगी :–

क. सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए रक्षा/अर्द्ध–सैनिक/पुलिस बलों के कार्मिकों की विधवाओं और निकट संबंधियों के परिवार।

ख. ऐसे परिवार, जिनका कोई सदस्य कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित हो या जिन्हें एचआईवी (पीएलएचआईवी) संक्रमण हो गया हो।

ग. इकलौती बेटी वाले परिवार

घ. सामान्यतः वन अधिकार अधिनियम के नाम से ज्ञात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी परिवार

ड. किन्नर

4.4.3 यदि पैरा 4.4.2 में उललिखित उपर्युक्त में से कोई भी पैरामीटर लागू न होता हो तो ग्राम सभा प्राथमिकता का निर्धारण कर सकती है और उस निर्धारण का समुचित औचित्य भी दर्ज कर

सकती है। यह प्राथमिकता पूर्ण रूप से निर्धारित की जानी चाहिए और इसमें प्रत्येक परिवार को अलग वरीयता क्रम दिया जाना चाहिए।

4.4.4 पात्र होते हुए भी सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों के विषय में ग्राम सभा कारणों सहित ग्राम सभा संकल्प में एक अलग सूची दर्ज कर सकती है। ग्राम सभा द्वारा इस सूची में उन परिवारों को भी शामिल किया जा सकता है जिनकी एसईसीसी 2011 सर्वे के दौरान गणना नहीं की गई थी या वे परिवार जिनकी एसईसीसी में गणना किए जाने के बावजूद उन्हें सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है किंतु वे पैरा 4.1 में उललिखित मानदंड के अनुसार पीएमएवाई–जी के अंतर्गत सहायता पाने के लिए पात्र पाए गए थे।

ग्राम सभा के संकल्प के अनुसार तैयार की गई निम्नलिखित सूचियां खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या इस प्रयोजनार्थ राज्य/सं.शा. क्षेत्र द्वारा पदनामित किसी अन्य अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी,

क. ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता प्राप्त पात्र परिवारों की सूची

ख. प्राथमिकता सूची से हटाए गए परिवारों की सूची

ग. सहायता पाने का पात्र होने के बावजूद सिस्टम द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची में शामिल न किए गए परिवारों की सूची।

4.5 शिकायत निवारण

4.5.1 सत्यापन के बाद ये सूचियां ग्राम सभा द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद ब्लॉक विकास अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ राज्य/सं.रा. क्षेत्र द्वारा पदनामित किसी अन्य अधिकारी, जिसे इसके बाद 'सक्षम प्राधिकारी' कहा गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि इन सूचियों का कम से कम 7 दिनों की अवधि में ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना भी उसी अधिकारी का दायित्व होगा कि विधिवत प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची को आवाससॉफ्ट पर दर्ज किया जाए।

4.5.2 सात दिनों तक इन सूचियों का उपयुक्त प्रचार किए जाने के बाद विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना प्राथमिकता सूची से गलती से हटाए जाने या वरीयता क्रम में बदलाव

किए जाने से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत किए जाने के लिए और 15 दिन का समय दिया जाएगा। इन शिकायतों को कोई ग्राम स्तरीय कार्मिक/राज्य/सं.शा. क्षेत्र द्वारा नियुक्त कर्मचारी एकत्र करेगा और उसके बाद ये शिकायतें आगे कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएंगी या पीडित पक्ष सीधे सक्षम प्राधिकारी को अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी इन शिकायतों की जांच करके रिपोर्ट तैयार करेगा और इस रिपोर्ट को अपील समिति के पास समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करेगा, जिसकी समयसीमा का निर्धारण राज्य/सं.शा.क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। इस अपील समिति का गठन राज्य/सं.श. क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

4.5.3 राज्य/सं.शा.क्षेत्र सरकार जिला स्तर पर तीन सदस्यों की अपीलीय समिति गठित करेगी। इस समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या उसके नामिती कर सकते हैं और इस समिति में एक अन्य अधिकारी एवं कम से कम एक गैर–सरकारी सदस्य शामिल हो सकते हैं। अपील समिति के गैर सरकारी सदस्य के कार्यकाल का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। अपील समिति प्राथमिकता सूची से हटाए जाने या वरीयताक्रम में बदलाव के विरूद्ध रिपोर्ट में की गई शिकायतों पर विचार करेगी और निर्धारित समयसीमा में शिकायत का निपटान करेगी। शिकायतों के समय पर निपटान सहित अपील समिति द्वारा सुनवाई की विस्तृत प्रक्रियाविधि का फैसला संबंधित राज्य/सं.शा.क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

4.5.4 अपील समिति द्वारा ग्राम पंचायत के सभी मामलों को निपटाए जाने के पश्चात प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट वरीयता देते हुए प्रत्येक श्रेणी की ग्राम पंचायत–वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा। यह स्थायी प्रतीक्षा सूची पीएमएवाई–जी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जाएगी।

4.6 प्राथमिकता सूची का अद्यतनीकरण

4.6.1 पीएमएवाई(जी) के कार्यान्वयन के शुरूआती वर्ष में सूची में नाम जोड़ने/शामिल करने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं होगा। तथापि, सूची में शामिल किए जाने के लिए ग्राम सभा का समर्थन प्राप्त करने वाले दावाकर्ताओं को छोड़कर अन्य दावाकर्ता अपने दावे ग्राम सभा का संकल्प पारित होने की तारीख से 6 महीने की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी ग्राम सभा से समर्थित इन दावों और सीधे प्राप्त अभ्यावेदन की जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करके अपील समिति को प्रस्तुत करेगा। अपील समिति दावे के

गुण–दोष के आधार पर उन परिवारों को पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों के दायरे में शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। समय पर शिकायतों के निपटान सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्टों की प्रस्तुति तथा अपील समिति द्वारा मामलों को सुलझाए जाने की विस्तृत प्रक्रियाविधि का निर्णय संबंधित राज्य/सं.शा.क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।

4.6.2 अपील समिति की सिफारिश के अनुसार लाभार्थियों के दायरे में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित परिवारों की सूची ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो और समुदाय–वार तैयार की जाएगी। इस सूची में विगत पैरा में उल्लिखित प्राथमिकता निर्धारण की सभी शर्तों की पूर्ति की जानी चाहिए। केंद्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात ही स्थायी प्रतीक्षा सूची में इन परिवारों को शामिल करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

4.7 वार्षिक चयन सूचियों की तैयारी

4.7.1 मंत्रालय द्वारा लक्ष्य सूचित किए जाने के बाद राज्य/सं.शा. क्षेत्र संबंधित जिलों को श्रेणी–वार लक्ष्यों का वितरण करेगी और यह जानकारी आवास सॉफ्ट पर दर्ज करेगी। लक्ष्यों के वितरण के समय एसएजीवाई, रर्बन क्लस्टर में शामिल की गई ग्राम पंचायतों या जो भी लागू हो, खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्राम पंचायतों और उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत महिला स्व–सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त सामाजिक पूंजी तैयार कर ली गई हो। वार्षिक चयन सूची के आरंभ में अनुमोदित प्राथमिकता सूची में शामिल शीर्ष परिवार होंगे और यह सूची उस वर्ष ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो के लिए प्रत्येक श्रेणी के संबंध में सौंपे गए लक्ष्यों के अनुसार तैयार की जाएगी।

4.7.2 इस वार्षिक चयन सूची का व्यापक प्रचार प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया या गांव में दीवारों पर लिखाई के माध्यम से किया जाएगा।

05

आवास का निर्माण

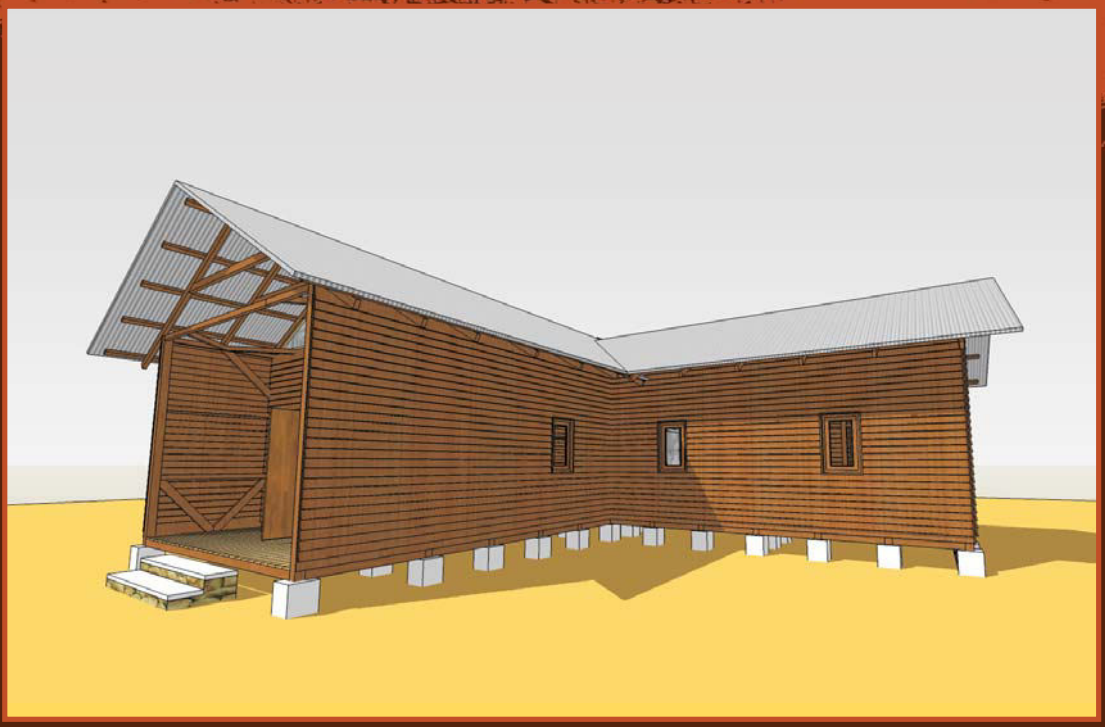

5. मणिपुर के लिए मकान का डिजाइन

बरामदायुक्त एल–शेप के मकान जैसा कि परंपरागत नागा जनजातीय मकानों में उठे हुए फर्श के साथ–साथ लकड़ी की फ्लोरिंग वाले मकानों में होता है।

आवास का निर्माण

5.1 लाभार्थी को इकाई सहायता

5.1.1 पीएमएवाई–जी के तहत पक्के आवास के निर्माण के लिए लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रूपए और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जिलों में 1.30 लाख रूपए की प्रति इकाई सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

क) **दुर्गम क्षेत्रः** वे क्षेत्र होते हैं, जहाँ सामग्री की कम उपलब्धता, सड़क मार्गों की कमी, प्रतिकूल भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों के कारण निर्माण की लागत अधिक होती है। किसी राज्य में दुर्गम क्षेत्र का वर्गीकरण राज्य सरकारों को करना होता है। इस तरह का वर्गीकरण किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत राज्य में मौजूदा वर्गीकरण के आधार पर अथवा विषयपरक मानदंडों पर आधारित कार्यप्रणाली का प्रयोग करते हुए किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए बनाई गई अधिकार प्राप्त समिति राज्य में किए गए वर्गीकरण को मंजूरी देगी। "दुर्गम क्षेत्र" के रुप में किसी क्षेत्र के निर्धारण के लिए ग्राम पंचायत को लघुत्तम इकाई माना जाएगा।

ख) **हिमालय राज्यः** जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

ग) **आईएपी जिलेः** गृह मंत्रालय की समेकित कार्य योजना के अधीन आने वाले जिले।

घ) **पक्का मकानः** पक्का मकान ऐसा मकान है, जो उचित रख–रखाव किए जाने पर मौसमी परिस्थितियों सहित प्राकृतिक आपदाओं और इस्तेमाल की वजह से होने वाली छोटी–मोटी टूट–फूट को झेल सके और कम से कम 30 वर्षों तक चल सके।

5.1.2 पैरा 5.1.1 में उल्लिखित इकाई सहायता के अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना (मनरेगा) के तहत मकान निर्माण के दौरान 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान किया गया है। इसे लाभार्थी स्वयं पा सकता है और मनरेगा योजना के तहत अपना 100 दिन का

काम पूरा कर चुके लाभार्थी के मामले में अथवा लाभार्थी वृद्ध/विकलांग हो और किसी कारणवश वह कार्य करने में अक्षम हो, तो यह कार्य मनरेगा योजना के तहत काम मांगने वाले अन्य कामगार से कराया जा सकता है।

5.1.3 पीएमएवाई–जी के तहत स्वीकृत किए गए मकान शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (जी), मनरेगा अथवा किसी अन्य समर्पित वित्तपोषण स्रोत से 12,000 रूपए की सहायता राशि पाने के लिए भी पात्र हैं।

5.1.4 स्वच्छ रसोई के लिए समर्पित क्षेत्र सहित मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना चाहिए।

5.2 लाभार्थी के लिए भूमि की टैगिंग और क्षेत्रीय कर्मियों एवं राज मिस्त्रियों की मैपिंग

5.2.1 स्वीकृति आदेश जारी करने से पहले बीडीओ या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई ब्लॉक स्तरीय अधिकारी 'आवासऐप' (मोबाइल ऐप) के जरिए उस मकान का लाभार्थी सहित जियो–संदर्भित फोटोग्राफ दर्ज करेगा जहां फिलहाल लाभार्थी रह रहा है, उसके बाद उस जमीन/स्थल का लाभार्थी सहित जियो–टैग्ड फोटोग्राफ लिया जाएगा जिस पर लाभार्थी मकान बनाना चाहता है और इसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड करेगा। यदि लाभार्थी उसी भूखंड पर पीएमएवाई–जी मकान का निर्माण करना चाहता हो, जिस भूखंड पर वह फिलहाल रह रहा/रही है, तो यह बात स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए।

5.2.2 भूमिहीन लाभार्थी के मामले में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को सरकारी भूमि अथवा सार्वजनिक भूमि (पंचायती सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। चयनित की गई भूमि के लिए सड़क संपर्कता और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिए जाते ही भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूरी की जाए।

5.3 लाभार्थी को स्वीकृति पत्र जारी करना

5.3.1 आवंटित किए गए लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची पर आधारित वार्षिक चयन सूची को एमआईएस–आवास सॉफ्ट पर पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के दौरान, बैंक खाते के विवरण, नामिती व्यक्ति के नाम, मनरेगा योजना जॉब कार्ड नंबर को अनिवार्य

रूप से दर्ज किया जाना होगा। इसके अलावा, यदि उपलब्ध हो तो आवास सॉफ्ट पर मोबाइल नंबर तथा सहमति प्राप्ति उपरांत आधार नंबर को भी दर्ज किया जाए। लाभार्थियों के लिए मैप किए गए क्षेत्रीय कर्मी और उपयुक्त प्रशिक्षित राजमिस्त्री के ब्यौरे भी आवाससॉफ्ट पर डाले जाएं।

5.3.2 लाभार्थी के ब्यौरे के पंजीकरण और उसके बैंक खाते के ब्यौरों की अभिपुष्टि के पश्चात विशिष्ट पीएमएवाई–जी आईडी और क्विक रिस्पान्स (क्यूआर) कोड के साथ प्रत्येक लाभार्थी के लिए आवाससॉफ्ट पर अलग से स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। आवास का आवंटन विधवा/अविवाहित/अकेले रह रहे व्यक्ति के मामलों को छोड़कर संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम किया जाएगा। आवास का आवंटन राज्य/सं.श. क्षेत्र द्वारा केवल महिला के नाम पर भी किया सकता है। पति और पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि के पंजीकरण में राज्य/सं.शा. क्षेत्र भी सहायता कर सकता है। विकलांग व्यक्तियों के कोटे के तहत चयनित किए गए लाभार्थियों के मामले में, आवंटन केवल उसी व्यक्ति के नाम किया जाना चाहिए। लाभार्थी के पक्ष में स्वीकृति दिए जाने की जानकारी लाभार्थी को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। लाभार्थी या तो ब्लॉक कार्यालय से स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकता है या उस आदेश को अपनी पीएमएवाई–जी आईडी का उपयोग करते हुए पीएमएवाई–जी की वेबवाइट से डाउनलोड कर सकता है।

5.4 लाभार्थी को पहली किस्त की रिलीज

5.4.1 लाभार्थी को पहली किस्त की रिलीज स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख से एक हफ्ते (7 कार्य दिवस) के अंदर लाभार्थी के पंजीकृत किए गए बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी। जिस बैंक में राज्य नोडल खाता हो, उस बैंक से पहली किस्त के अंतरण की जानकारी लाभार्थी को एसएमएस के माध्यम से भेजने हेतु राज्य निर्देशित करेगा।

5.5 निर्माण की पद्धति

5.5.1 पीएमएवाई–जी के तहत आवास का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा किया जाएगा या वह अपनी देखरेख में आवास का निर्माण कराएगा/कराएगी। आवास निर्माण हेतु राज्य/सं.शा. क्षेत्र किसी ठेकेदार को कार्य नहीं सौंपेगें। यदि ठेकेदार के द्वारा किए गए निर्माण का मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में आता है तो मंत्रालय को उन पीएमएवाई–जी आवास के लिए राज्य को की गई रिलीजों की वसूली करने का अधिकार होगा। यदि विशेष रूप से

प्राधिकृत न किया गया हो, तो आवास का निर्माण किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा भी नहीं किया जाएगा।

5.5.2 लाभार्थी के वृद्ध अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह स्वयं आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ लाभार्थियों के छूट जाने के मामले में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके आवास का निर्माण करने के लिए उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा जमीनी स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए।

5.6 लाभार्थी द्वारा आवास का निर्माण कार्य संपन्न किए जाने की समय–सीमा

5.6.1 निर्माण कार्य में विलंब होने से आवास निर्माण पूरा करने में समस्याएं बढ़ जाती हैं। विलंब होने से न केवल सामग्री की लागत बढ़ती है बल्कि विलंब के कारण सहायता राशि, उपभोग संबंधी जरूरतों सहित अन्य अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो जाती है क्योंकि लाभार्थियों की सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि वे जीवन की विभिन्न असुरक्षाओं से घिरे रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटना असंभव हो जाता है और आवास निर्माण अधूरा रह जाता है। इसलिए राज्य को लाभार्थी द्वारा बनाए जाने वाले आवास की कड़ी निगरानी और लगातार मार्गदर्शी सहायता सुनिश्चित करनी होगी। राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें लाभार्थियों द्वारा मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र एवं समय पर संपन्न किए जाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दे सकती हैं।

5.6.2 आवास निर्माण स्वीकृति की तारीख से 12 महीने में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

5.7 लाभार्थियों को सहायता राशि की रिलीज

5.7.1 राज्य/संघ शा. क्षेत्र वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किस्तों की कुल संख्या और मकान निर्माण के लिए लाभार्थी को भुगतान किए जाने वाली प्रत्येक किस्त की राशि के संबंध में निर्णय लेंगे। कम से कम 3 किस्तें होना चाहिए। आवास के निर्माण के केवल 7 चरण/स्तर इस प्रकार होंगेः–

क) आवास की स्वीकृति

ख) नींव रखना

ग) कुर्सी क्षेत्र

घ) विंडोसिल

ङ) लिंटेल

च) रूफ कास्ट

छ) समापन

5.7.2 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनिवार्यतः पहली किस्त का भुगतान स्वीकृति के समय करना चाहिए। राज्य/संघ शा. क्षेत्र पहली किस्त के अलावा दी जाने वाली किस्तों, की मैपिंग आवाससॉफ्ट में आवास निर्माण के निम्नलिखित चरणों/स्तरों में से अपने विकल्प के अनुसार करेंगेः—

क) नींव रखना

ख) कुर्सी क्षेत्र

ग) विंडोसिल

घ) लिंटेल

ङ) रूफकास्ट

च) समापन

5.7.3 आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से दूसरी किस्त की मैपिंग अनिवार्यतः या तो नींव रखने या प्लिंथ स्तर से की जानी चाहिए और तीसरी किस्त की मैपिंग या तो विंडोसिल/लिंटेल/रूफकास्ट स्तर से की जानी चाहिए।

06

लाभार्थी सहायता सेवाएं

6. मेघालय के लिए मकान का डिजाइन

खासी, भोई और जैंतिया गांवों के लिए बांस इकरा की दीवार वाले ऊंचे बांस के मकान।

लाभार्थी सहायता सेवाएं

6.1 आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अलावा, उपलब्ध संसाधनों से गुणवत्तापूर्ण आवास का निर्माण समय से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सामग्री और संसाधनों की चरण–वार आवश्यकता, स्थानीय रूप से प्रासंगिक आवास डिजाइनों से जुड़े विभिन्न विकल्प, किफायती निर्माण प्रौद्योगिकियों के संबंध में जागरूकता, निर्माण सामग्री के अधिप्राप्ति, प्रोक्योरमेंट की सुविधा पर्याप्त प्रशिक्षित राजमिस्त्री की उपल्ब्ध आदि लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाये।

6.2 सहायता सेवाओं के प्रावधान के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता होगीः–

क) लाभार्थियों का संचेतना विकास/संवेदीकरण

ख) आवास डिजाइन टाइपोलॉजी तैयार करना और इसकी व्यवस्था करना

ग) राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन

घ) निर्माण सामग्री की सोर्सिंग

ङ) वृद्ध और विकलांग लाभार्थियों को सहायता देना

च) बैंको से 70,000 रूपए तक की ऋण सुविधा देना

6.2.1 लाभार्थियों का संचेतना विकास/संवेदीकरण

6.2.1.1 राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा निश्चित की गई तारीख पर चयनित लाभार्थियों को सहायता की राशि, उसकी चरण–वार किस्तों, लाभार्थियों के क्षेत्र के लिए उपयुक्त हाउस टाइप डिजाइनों के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों, उनके क्षेत्र हेतु उपयुक्त एवं नवीन आवास में

शामिल किए जाने वाले आवश्यक आपदारोधी विशेषताओं, प्रारंभ में केवल कोर आवास का निर्माण शुरू करने की आवश्यकता, निर्माण के प्रत्येक चरण के लिए सामग्री की अनुमानित जरूरत, कुशल राजमिस्त्रियों के पते के साथ उनकी उपलब्धता, उचित दर पर सामग्री के प्रापण के स्रोत, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि के ब्यौरों के साथ संस्थागत ऋण की उपलब्धता के स्रोत, आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता इत्यादि सहित मकान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।

6.2.1.2 संचेतना कार्यक्रम के दौरान राज्यों को उन लाइन विभागों को भी शामिल किया जाना चाहिये जिन्हें परस्पर तालमेल करते हुए लाभार्थियों को सेवाएं उपलब्ध करानी हैं।

6.2.2 मकान डिजाइन टाइपोलॉजी तैयार करना और इसकी व्यवस्था करना

6.2.2.1 राज्य/संघ शासित क्षेत्र को लाभार्थियों के निवास क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवासों के डिजाइनों के अनेक विकल्प उपलब्ध कराने चाहिए। कोर आवास डिजाइन में स्वच्छ रसोई और प्रसाधन एवं स्नानघर के लिए समर्पित स्थान भी शामिल होना चाहिए। आवास की छत और दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह स्थानीय (लाभार्थी के आवास स्थान की) जलवायु संबंधी परिस्थितियों को सहने में सक्षम हों तथा उनमें भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि को सहन करने योग्य विशेषताएं (जहां जैसा आवश्यक हो) भी शामिल होनी चाहिए। यह भी वांछनीय है कि आवास के डिजाइन में निम्नलिखित विशेषताएं, जिन्हें लाभार्थी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बाद में शामिल कर सकें, भी शामिल होनी चाहिएः–

क) आजीविका संबंधी कार्यकलापों के लिए पर्याप्त स्थान

ख) वर्षा जल संचयन प्रणाली

ग) बरामदा

6.2.2.2 केंद्र सरकार राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट हाउस डिजाइनों के विकास में, जहां कहीं आवश्यक हो, राज्यों/शा. क्षेत्रों का मार्गदर्शन करेगी।

6.2.2.3 आवास के निर्माण के लिए सहायता संबंधी स्वीकृति पत्र के साथ लाभार्थी को निर्धारित किए गए मकान डिजाइनों और प्रौद्योगिकियों के विकल्पों की सूची भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए

जिनमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया जाएः—

क) मकान डिजाइनों का प्लान, लेआउट और विस्तृत लागत अनुमान।

ख) प्रत्येक निर्धारित मकान डिजाइन के लिए विभिन्न स्तरों यथा— नींव, लिंटेल स्तर, छत आदि के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा और निर्माण की अनुमानित लागत।

ग) प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की सूची और उनके संपर्क ब्यौरे उपलब्ध कराना।

घ) विभिन्न निर्मित मकान डिजाइन टाइपोलॉजी के प्रदर्शन स्थान के बारे में जानकारी देना ताकि लाभार्थी उसे देखकर उसका अनुभव पा सके।

ङ) आसपास के क्षेत्रों में सभी सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का संपर्क ब्यौरा, जो आवास डिजाइन टाइप की विशिष्ट जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

6.2.3 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन

6.2.3.1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बनाए जाने वाले आवास अच्छी गुणवत्ता वाले हों, ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता आवश्यक होती है। राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण संबंधी योजना बनानी चाहिए और उन्हें ऐसे स्थानों पर प्रशिक्षण देना चाहिए जहां अधिक निर्माण कार्य किया जाना हो जैसा कि स्थायी प्रतीक्षा सूची से सुनिश्चित किया जा सकता है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के ग्रामीण राजमिस्त्री अर्हता पैक (क्यूपी) के अनुसार दिया जाना होता है। वर्तमान में क्यूपी में आधारभूत निर्माण कार्य के व्यावसायिक मानकों को शामिल किया गया है। निर्धारित और अनुमोदित टाइप डिजाइनों, जिनमें स्थानीय निर्माण प्रौद्योगिकी शामिल होगी, के लिए राज्य/सं.शा. क्षेत्र राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण में इन पहलुओं को शामिल करने का कार्य शुरू कर सकते हैं। राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों/सं.शा.क्षेत्रों को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता होगीः—

क) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अर्ध—कुशल व्यक्ति की पहचान, जांच करना और उसे नामित करना जो प्रशिक्षण लेने का इच्छुक हो।

ख) राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए भारतीय निर्माण कौशल विकास परिषद (सीएसडीसीआई)/प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाता का निर्धारण और नियुक्ति करना।

ग) स्वीकृत अर्हता पैक के अनुसार प्रायोगिक (पायलट) प्रशिक्षण शुरू करना और उसके बाद प्रायोगिक प्रशिक्षण से सीखते हुए राज्य/सं.शा.क्षेत्र के लिए एक व्यापक राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना बनाना।

घ) सीएसडीसीआई/डीजीटी से मान्यता प्राप्त एक मूल्यांकन एजेंसी के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए राजमिस्त्रियों के मूल्याकंन और प्रमाणन हेतु प्रशिक्षण के बाद की व्यवस्था करना।

ङ) ब्लॉक विकास खन्ड क्षेत्र में उपलब्ध प्रमाणित राजमिस्त्रियों की सूची लाभार्थियों को उपलब्ध कराना।

6.2.4 निर्माण सामग्री की सोर्सिंग

6.2.4.1 जहां अधिक लक्ष्य निर्धारित किए गये हों, वहां राज्य/सं.शा.क्षेत्र सरकारें स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) से सूचित लक्ष्यों के आधार पर सामग्रियों की जिला/ब्लॉक–वार आवश्यकता का मूल्यांकन करेंगी। लाभार्थियों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, राज्य/सं.शा.क्षेत्र सरकारें प्रतियोगी दरों पर अच्छी निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने की व्यवस्था कर सकती हैं।

6.2.4.2 राज्य/सं.शा. क्षेत्र थोक अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) के लिए जिला स्तर पर निर्माण सामग्री बैंक बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। इस हेतु उन्हें कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था बनानी होगी। खरीदी गई सामग्री का तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापन के लिये राज्य/सं.शा. क्षेत्र अपने यहां के भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था की सहायता ले सकते हैं। लाभार्थी ऐसे सामग्री बैंक से निर्माण सामग्री ले सकते हैं। तथापि, ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए लाभार्थी की सहमति आवश्यक होगी। उसके पास इस सुविधा का लाभ न लेने का विकल्प भी होगा।

6.2.4.3 राज्य निर्माण कार्य में जहां भी संभव हो और लाभार्थियों ने अनुरोध किया हो वहां पहले से तैयार की गई/निर्मित की गई सामग्रियों के उपयोग पर भी विचार कर सकते हैं।

6.2.5 वृद्ध एवं विकलांग लाभार्थियों को सहायता

6.2.5.1 कंडिका 5.5.2 अनुसार लाभार्थी के वृद्ध अथवा अक्षम अथवा दिव्यांग होने के मामले में यदि वह स्वयं आवास निर्माण करने की स्थिति में नहीं है तो इस प्रकार के आवास का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान किया जा सकता है। इसके बाद भी कुछ लाभार्थियों के छूट जाने के मामले में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनके आवास का निर्माण करने के लिए उनकी सहायता ग्राम पंचायतों अथवा जमीनी स्तर के कर्मियों के माध्यम से की जाए।

6.2.6 बैंको से 70,000 रूपए तक की ऋण सुविधा

6.2.6.1 लाभार्थी अपनी आकांक्षाओं और भविष्य की जरूरतों के अनुसार आवास निर्माण करना चाहेगा/चाहेगी क्योंकि यह जीवन में एक बार किया जाने वाला कार्य होता है। इसके लिए यदि लाभार्थी वित्तीय सहायता लेना चाहे तो 70,000 रूपए तक की संस्थागत वित्तीय सहायता दिलाने में सहायता की जानी चाहिए।

6.2.6.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमएवाई–जी के इच्छुक लाभार्थियों को डीआरआई या अन्य से ऋण दिलाने में सहायता की गई है, निम्नलिखित का अनुपालन किया जा सकता है:–

क) पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज दर और पुनर्भुगतान की अवधि सहित तौर–तरीकों और निबंधन एवं शर्तों के संबंध में चर्चा करने के लिए राज्य/जिला स्तरीय बैंक समितियों (एसएलबीसी/डीएलबीसी) की बैठकें आयोजित करना।

ख) पूरी की जाने वाली शर्तों और आवश्यक दस्तावेजों के विषय में प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित बैंक, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हाउसिंग फाइनैन्स कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इत्यादि) के साथ विचार–विमर्श करना।

ग) राज्य/संघ शा. क्षेत्र तथा बैंक लाभार्थियों के संचेतना विकास सहित विभिन्न अवसरों पर पीएमएवाई–जी लाभार्थियों के लिए ऋण सेवाओं की उपलब्धता के विषय में व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे।

घ) लाभार्थी को आवास स्वीकृत हो जाने और उसके संस्थागत वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए इच्छुक होने पर राज्य/संघ शा. क्षेत्र इस प्रयोजनार्थ प्रक्रिया तैयार करके यह कार्य स्थानीय स्तर के कर्मियों को सौंप सकते हैं, ताकि लाभार्थियों को ऋण प्राप्त होने में आसानी हो।

ङ) ऋण की स्वीकृति की निगरानी बीएलबीसी/डीएलबीसी/एसएलबीसी स्तरों सहित ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर की जानी चाहिए। ऋण की स्वीकृति न होने से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा संबंधित बैंक के परामर्श से उन शिकायतों का निपटान करने की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए।

07

कार्यान्वयन सहायता व्यवस्था

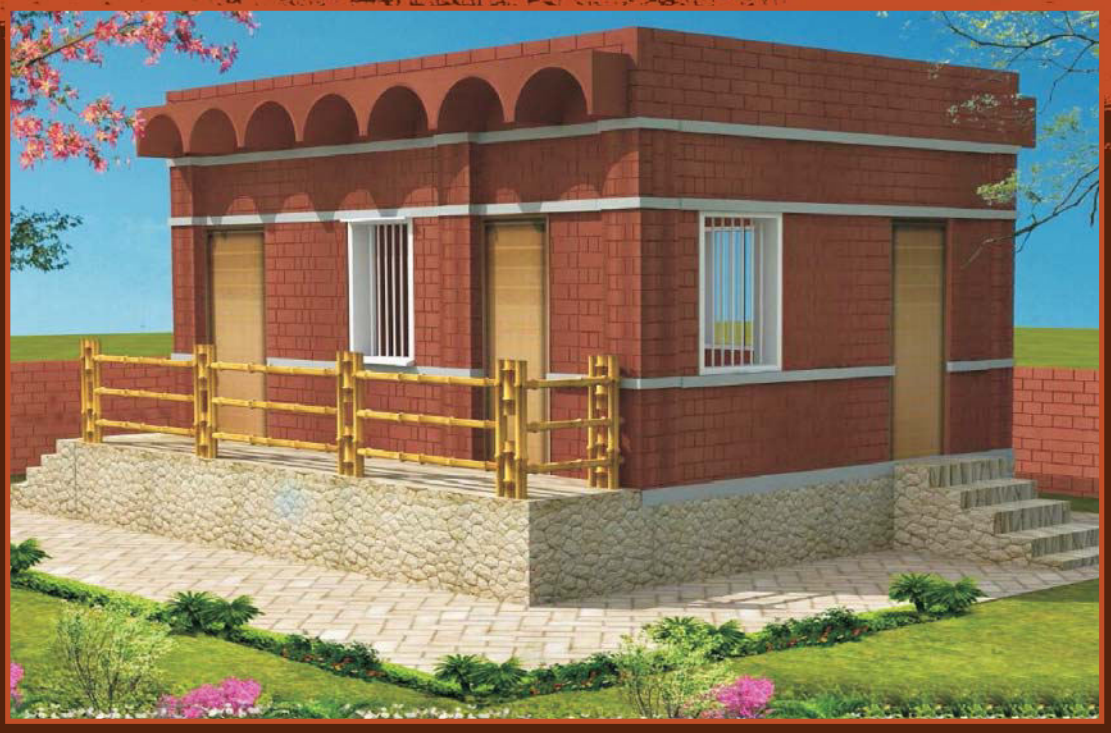

7. उत्तर प्रदेश के लिए मकान का डिजाइन

उत्तर प्रदेश में अधिक भूकंपी जोखिम और आंधी वाले क्षेत्रों में सपाट स्लैब बनाने के लिए नए फेरो सीमेंट चैनलों वाले डिजाइन की सिफारिश की गई है।

कार्यान्वयन सहायता व्यवस्था

7.1 ग्रामीण आवास के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (एन.टी.एस.ए.)

7.1.1 सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण आवास के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (एनटीएसए) गठित की जाएगी। इस एजेंसी के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ–साथ निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, कार्यान्वयन की निगरानी, बजटेत्तर वित्तपोषण का प्रबंधन, सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप, ई–शासन समाधानों का विकास और प्रबंधन, आँकड़ा विश्लेषण, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा निर्धारित तकनीकी सुविधा केंद्रों के कामकाज में समन्वयन/निगरानी/सहायता करना शामिल हैं। एनटीएसए ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में मंत्रालय द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी करेगी। एनटीएसए उपर्युक्त कार्यकलाप शुरू करने के लिए आवश्यकतानुसार कौशल उपलब्ध कराने के लिए पेशेवरों की सेवायें ले सकेगी। यह एनटीएसए राष्ट्रीय रुरल रोड डिवलपमेंट एजेंसी (एनआरआरडीए) के घटक के रूप में स्थापित की जाएगी।

7.1.2 उपर्युक्त कार्यकलापों के अंतर्गत एनटीएसए को विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्लान, एलिवेशन और अनुमान सहित राज्य–वार आवास डिजाइन टाइपोलोजी के विकास, निर्धारित डिजाइनों के अनुसार मकानों के निर्माण के दौरान तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने, निर्माण प्रौद्योगिकियों, अच्छे निर्माण कार्यों के विषय में प्रशिक्षण नियमावलियां तैयार/आशोधित करने और ग्रामीण राज–मिस्त्रियों के प्रशिक्षण सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण के संचालन की निगरानी करने, निर्माण सामग्री इत्यादि के उत्पादन एवं आपूर्ति में समन्वय करने जैसे कार्यों में शामिल किया जाएगा।

7.1.3 ई–शासन (ई–गवर्नेंस) समाधानों के अंतर्गत एनटीएसए आवाससॉफ्ट, आवासऐप, पीएफएमएस इत्यादि से संबंधित मुद्दों के समाधानों का विकास करने, उनके विषय में प्रशिक्षण और मार्गदर्शी सहायता प्रदान करने जैसे कार्य करेगी।

7.1.4 राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (एनटीएसए) निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी मामलों के बारे में अन्य संगठनों/संस्थाओं के साथ सहयोग तथा मंत्रालय द्वारा सुझाए गए अध्ययन संबधी कार्य और मूल्यांकन भी कर सकती है।

7.2 राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता

7.2.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार लाभार्थियों को अपने आवास के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं या निर्माण केंद्रों का निर्धारण कर सकती है। आवास हेतु पंजीकरण के समय निर्धारित संस्था लाभार्थियों को उस क्षेत्र के लिए उपलब्ध ऐसे आवास डिजाइनों और निर्माण प्रौद्योगिकियों की जानकारी दे सकती है, जिनका इस्तेमाल लाभार्थी अपने आवास के निर्माण के लिए कर सकता/सकती है। इसके अतिरिक्त, इस संस्था को राज–मिस्त्रियों के प्रशिक्षण और उसकी निगरानी में शामिल किया जा सकता है। ये निर्धारित संस्थाएं लाभार्थी को अपने आवास का निर्माण करने और निर्माण कार्य संपन्न करने में भी सहायता प्रदान कर सकती हैं।

7.3 राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एकक (राज्य पी.एम.यू.)

7.3.1 हालाँकि आवास का निर्माण लाभार्थी को ही करना होता है लेकिन यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी होती है लाभार्थी को इस प्रक्रिया में अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त हो तथा निरंतर निगरानी भी की जाए, जिससे आवासों के निर्माण कार्य का समापन सुनिश्चित हो पाए। कार्यान्वयन, निगरानी और निर्माण की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के कार्य करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पीएमयू) स्थापित करेंगे। राज्य पीएमयू का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया पर्याप्त रूप से वरिष्ठ अधिकारी (राज्य नोडल अधिकारी) होगा और उसकी सहायता प्रतिनियुक्ति एवं संविदा आधार पर नियुक्त कार्मिक करेंगे। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला और ब्लॉक स्तर के पीएमयू में भी अपनाई जाएगी। कार्यक्रम प्रबंधन एकक के प्रत्येक स्तर की सुझावपरक संरचना और जिम्मेदारियां आगे दर्शाई गई हैं:

7.3.1.1 राज्य स्तरीय पीएमयू

I. **राज्य नोडल अधिकार** – पीएमयू अध्यक्ष

II. **पीएमयू में अन्य कार्मिक**

क. वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों सहित आवास निर्माण के क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञ

ख. सूचना प्रौद्योगिकी / एमआईएस / पीएफएमएस के विशेषज्ञ

ग. वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ

घ. सामाजिक एकजुटता के विशेषज्ञ

ङ. प्रशिक्षण समन्वयकर्ता

च. आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारी

III. **जिम्मेदारियां:**

क. जिलों और ब्लॉकों को लक्ष्यों का आबंटन

ख. लाभार्थी को दी जाने वाली किश्तों की संख्या और प्रत्येक किश्त की राशि निर्धारित करना।

ग. स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) की तैयारी और पीडब्ल्यूएल से वार्षिक चयन सूची के आहरण की निगरानी करना।

घ. आवाससॉफ्ट में नए प्रशासनिक एककों की मैपिंग करना।

ङ. राज्य में क्षेत्र विशिष्ट मकान टाइपोलोजियों का विकास करना।

च. राज्य में 'दुर्गम क्षेत्र' का श्रेणीकरण करना और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार–प्राप्त समिति (ईसी) के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

छ. भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बीच तालमेल की योजना तैयार करना और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करना।

ज. पीएमएवाई–जी लाभार्थी को ऋण के संवितरण की निगरानी, जिसमें एसएलबीसी के माध्यम से निगरानी करना शामिल है।

झ. राज्य में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से राज–मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना तैयार करना और इन कार्यक्रमों का आयोजन करना

ञ. राज्य में लाभार्थियों के संवेदीकरण कार्यक्रमों की योजना तैयार करना और उन कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा आयोजन में सहायता करना।

ट. पीएमएवाई–जी और विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के अनुसार निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी करना।

ठ. राज्य नोडल खाते (एसएनए) का प्रंबधन और निगरानी करना।

ड. आवाससॉफ्ट संबंधी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करना।

ढ. निधियों की रिलीज के प्रस्ताव केंद्र को प्रस्तुत करना।

7.3.1.2 जिला–स्तरीय पीएमयू

I. **पूर्णकालिक कार्यक्रम अधिकारी या जिला स्तर पर पर्याप्त वरिष्ठता वाला कोई अधिकारी अध्यक्ष होगा/होगी।**

II. **अन्य कार्मिक**

क. निर्माण क्षेत्र के तकनीकी कार्मिक

ख. सूचना प्रौद्योगिकी कार्मिक

ग. प्रशिक्षण समन्वयकर्ता

घ. सहायक कर्मचारी

III. **जिम्मेदारियां:**

क. ब्लॉक–वार पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देना और पीडब्ल्यूएल से वार्षिक चयन सूची तैयार करना

ख. भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आबंटन में सहायता करना

ग. जिले में लाभार्थियों के संचेतना विकास कार्यक्रम की योजना तैयार करना और उन कार्यक्रमों का आयोजन करना।

घ. जांच के बाद प्रशिक्षुओं के चयन सहित निर्धारित प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से जिले में राज–मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम की आयोजना और उन कार्यक्रमों का आयोजन करना।

ङ. जहाँ कहीं आवश्यकता हो, वहाँ लाभार्थियों के लिए निर्माण सामग्री की कलेक्टिव सोर्सिंग मे सहायता करना।

च. मनरेगा योजना और डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत स्व–सहायता समूहों के माध्यम से निर्माण सामग्री के उत्पादन की योजना तैयार करना।

छ. इच्छुक लाभार्थियों को ऋण संवितरण के लिए बैंकों से समन्वय करना और प्रगति की निगरानी करना, जिसमें डीएलबीसी के माध्यम से निगरानी शामिल है।

ज. विशेष परियोजना प्रस्ताव तैयार करना और उसके कार्यान्वयन की निगरानी करना।

झ. निर्धारित समय–सीमा के अनुसार निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी करना।

ञ. आवाससॉफ्ट पर रिपोर्टों की निगरानी करना।

7.3.1.3 ब्लॉक–स्तरीय पीएमयू

I. **पूर्णकालिक ब्लॉक–स्तरीय अधिकारी / समन्वयकर्ता अध्यक्ष होगा / होगी।**

II. **अन्य कार्मिक**

क. एमआईएस डाटा एंट्री ऑपरेटर

ख. तकनीकी सहायक कर्मचारी

III. जिम्मेदारियां

क. लाभार्थियों का पंजीकरण

ख. लाभार्थियों को स्वीकृति आदेश जारी करना

ग. लाभार्थियों का संचेतना विकास

घ. लाभार्थी के लिए ग्राम कर्मी की मैपिंग करना

ङ. प्रशिक्षित राज–मिस्त्री को लाभार्थी के लिए टैग करना

च. मकान के निर्माण की प्रगति और लाभार्थी को किस्तों की समय पर रिलीज की निगरानी करना।

छ. आवासऐप/आवाससॉफ्ट के माध्यम से निर्माण कार्य की प्रगति की रिपोर्ट करना।

7.3.1.4 ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर

पीएमएवाई–जी के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक आवास ग्राम स्तरीय कर्मी (ग्राम रोजगार सहायक, भारत निर्माण स्वयंसेवियों, स्व–सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों या किसी अन्य ग्राम–स्तरीय कार्यकर्ता) को टैग किया जाएगा, जिसका कार्य लाभार्थी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और निर्माण में सहायता करना है। राज्य द्वारा निर्धारित निष्पादन संबंधी पैरामीटरों के अनुसार पारिश्रमिक इस कर्मी को दिय होगा।

7.3.2 विभिन्न स्तरों पर नियुक्त कार्मिकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की दर राज्य अपने यहां प्रचलित दरों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार निर्धारित कर सकता है। इन कार्मिकों की नियुक्ति से जुड़े खर्च की पूर्ति प्रशासनिक व्यय से की जा सकती है। मौजूदा कर्मियों की कामकाजी भूमिकाओं में संशोधन और अतिरिक्त मानदेय के भुगतान पर भी विचार किया जा सकता है।

7.4 राज्य और जिला स्तर पर समितियां

अध्याय–3 के पैरा संख्या 3.6 में उल्लिखित वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अनुसार

पीएमएवाई–जी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य/संघ शा. क्षेत्र निर्देशों एवं निगरानी के लिए राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर समितियों का गठन करेंगे। इन समितियों में वार्षिक कार्य योजना के विभिन्न घटकों को कार्यान्वित करने वाले अधिकारी और जन–प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे और जिला–स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलैक्टर होंगे। इन राज्य और जिला–स्तरीय समितियों की संरचना का निर्धारण राज्य/सं.शा.क्षेत्र सरकारें कर सकती हैं। राज्य–स्तरीय समिति वर्ष में कम से कम दो बार जबकि जिला–स्तरीय समिति वर्ष की हर तिमाही में बैठक करेगी।

7.5 ग्राम पंचायत की भूमिका

7.5.1 पीएमएवाई–जी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों/विलेज काउंसिल या जो भी लागू हो की भूमिका इस प्रकार हैः–

क. जैसा कि अध्याय 4 में कहा गया है, ग्राम पंचायतें एसईसीसी–2011 पर आधारित पात्र लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची का चयन, प्राथमिकता–निर्धारण और तैयारी तथा सिस्टम से तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल न हो पाए परिवारों की सूची की तैयारी ग्राम सभाओं के माध्यम से करेंगी।

ख. ग्राम पंचायतें लाभार्थियों को इस योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगी।

ग. स्वयं अपने आवसों का निर्माण न कर सकने वाले परिवारों का निर्धारण ग्राम पंचायतें करेंगी और राज–मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उन परिवारों के आवासों का निर्माण कार्य शुरू कराने में मदद करेंगी। यदि उसके बाद भी कुछ लाभार्थी छूट जाएं तो ग्राम पंचायतें उनके आवासों का निर्माण कराने में मदद करेंगी।

घ. ग्राम पंचायतें भूमिहीन परिवारों को आबंटित किए जाने के लिए पंचायती भूमि का निर्धारण करने में मदद करेंगी।

ङ. ग्राम पंचायतें निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री यथोचित दरों पर प्राप्त करने और प्रशिक्षित राज–मिस्त्री की पहचान करने में लाभार्थियों की सहायता कर सकती हैं।

च. ग्राम पंचायतें केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के लाभ तालमेल के माध्यम से प्राप्त करने में लाभार्थियों की मदद करेंगी।

छ. ग्राम पंचायतों को अपनी निर्धारित बैठकों में इस योजना की प्रगति की चर्चा करनी चाहिए और लाभार्थियों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को सामाजिक लेखा परीक्षा कार्य में सामाजिक लेखा परीक्षा टीमों की स्वयंमेव मदद भी करनी चाहिए।

ज. प्रत्येक पीएमएवाई–जी मकान के निर्माण–कार्य का समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए उस मकान के साथ टैग किए जाने वाले स्थानीय स्तर के कर्मी के निर्धारण में ग्राम पंचायत को सहायता करनी चाहिए।

7.5.2 राज्य सरकार को आगे दर्शाए गए कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए करने चाहिएं कि पंचायतें अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा पाएं:–

क. पंचायतों को सोंपे गए कार्य करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना।

ख. पंचायतों को विशेषकर निर्माण सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकी के विषय में आईईसी सामग्री उपलब्ध कराना।

ग. संभाले जाने वाले कार्य के अनुरूप प्रशासनिक व्यय का अंश उपलब्ध कराना।

घ. पंचायत के प्रत्येक स्तर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां विनिर्दिष्ट करने के लिए राज्य/संघ शा. क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त आदेश जारी करना। राज्यों/संघ शा. क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली के अलग–अलग स्तर होने के कारण राज्य सरकार प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां निर्धारित कर सकती है।

नोट:– यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई पंचायतें/विलेज काउंसिल नहीं हैं, उन राज्यों/संघ शा. क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विनिर्दिष्ट भूमिकाएं उपयुक्त स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिए। जिन राज्यों/संघ शा. क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें बहुत छोटी हैं, उनमें ग्राम पंचायतों के क्लस्टर गठित किए जाने चाहिएं, ताकि वे अपने कार्य कर सकें।

7.6 एनआरएलएम से मान्यता प्राप्त स्व–सहायता समूहों की भूमिका

क. पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों में टिकाऊ आवास के निर्माण, सामग्री की खरीद के स्रोत, कुशल राज–मिस्त्रियों की उपलब्धता और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित अन्य योजनाओं से प्राप्त किए जा सकने वाले लाभों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के कार्य में स्व–सहायता समूहों को शामिल किया जाना चाहिए।

ख. स्वंय सहायता समूह लाभार्थियों को स्वीकृत मकानों के निर्माण/समापन में सहयोग प्रदान करेंगे।

ग. पीएमएवाई–ग्रामीण की सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए प्रमाणित सामाजिक लेखा परीक्षकों के रूप में स्व–सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

घ. जहां कहीं व्यवहार्य हो, वहां पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों को यथोचित दर पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति के लिए उस सामग्री का उत्पादन स्व–सहायता समूहों से कराया जाना चाहिए, जिससे स्व–सहायता समूहों और लाभार्थियों, दोनों को लाभ प्राप्त होगा।

08

तालमेल (कन्वर्जैंश)

8. ओडिशा के लिए मकान का डिजाइन

शहरी क्षेत्रों से सटे इलाकों के लिए उपयुक्त ऊर्ध्व विस्तारण के लिए सीढ़ी के साथ सपाट छत के आरसीसी फ्रेम वाले मकान का डिजाइन।

तालमेल (कन्वर्जेंश)

8.1 आवास निर्माण के लिए सहायता के अलावा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य/संघ शा. क्षेत्र की सरकारों की मौजूदा योजनाओं में तालमेल सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिन योजनाओं में तालमेल किया जाना है, वे इस प्रकार हैं:–

क) शौचालय का निर्माण पीएमएवाई–जी के अनिवार्य भाग के रूप में किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम–जी), मनरेगा या किसी अन्य समर्पित वित्त स्रोत से वित्त पोषण करके शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। आवास का निर्माण केवल तभी पूरा माना जाएगा, जब उसमें शौचालय का निर्माण किया गया हो।

ख यह अनिवार्य है कि मनरेगा के साथ तालमेल के तहत आवास के निर्माण के लिए अकुशल मजदूरी घटक के संबंध में लागू दर पर 90 श्रम दिवसों(पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 95 श्रम दिवस) के लिए पीएमएवाई–जी लाभार्थी को मजदूरी घटक के रूप में सहयोग दिया जाये। पीएमएवाई–जी के आवास सॉफ्ट और मनरेगा योजना के नरेगासॉफ्ट सर्वरों के बीच तालमेल किया गया है ताकि एक बार आवास सॉफ्ट पर आवास की मंजूरी मिल जाने पर मकान के निर्माण से संबंधित कार्य की जानकारी स्वतः ही नरेगा सॉफ्ट पर उपलब्ध हो जाएगी।

ग) पेयजल जीवन की आधारभूत सुविधाओं में से एक है। पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडबल्यूपी) अथवा इस प्रकार की किसी अन्य योजना के साथ तालमेल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

घ) विद्युत मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के साथ तालमेल करके पीएमएवाई–जी लाभार्थी को बिजली कनेक्शन उपलब्ध करने के लिए इसे प्रभावी बनाया जाएगा। राज्य/संघ शा. क्षेत्र को सुनिश्चित करना होगा कि

पीएमएवाई–जी लाभार्थी को सोलर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स, सोलर स्ट्रीट–लाइटिंग सिस्टम, लाभार्थी परिवार के लिए स्वच्छ खाना पकाने वाली ऊर्जा के समाधान के लिए नेशलन बायो–मास कुक स्टोव्स प्रोग्राम (एनबीसीपी) और नेशनल बायो गैस एण्ड मेन्यूर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत बायोगैस यूनिट के साथ–साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय(एमएनआरईएस) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का लाभ मिले।

ड.) पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों को स्वच्छ और अधिक सक्षम कुकिंग ईंधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूआई) के तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। यहां यह भी ज्ञातव्य हो कि पीएमयूआई के अंतर्गत लभार्थी का चयन भी एस ई सी सी 2011 सूची से ही किया जा रहा है।

च) परिवारों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवारों द्वारा उत्पन्न हुए ठोस एवं द्रव अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, राज्य/संघ श. क्षेत्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन(जी) या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ तालमेल करके ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित कर सकती है।

छ) भवन निर्माण सामग्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य/संघ शा. क्षेत्र भवन निर्माण सामग्रियों अर्थात ईंटों, स्टेबलाइज्ड मड ब्लॉक्स, फ्लाई एश ईंटों आदि का उत्पादन मनरेगा के साथ तालमेल करके कर सकता है। उत्पादन की गई सामग्री की आपूर्ति पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों को की जा सकती है।

ज) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मनरेगा के साथ तालमेल करके मकान स्थलों के विकास, बायो–फेंसिंग, खड़जा वाले रास्तों, एप्रोच रोड या मकान तक सीढ़ियों, मृदा संरक्षण और सुरक्षा कार्यों आदि जैसी सामूहिक/वैयक्तिक सुविधाओं का विकास पीएमएवाई–जी के लाभार्थियों के लिए करें।

8.2 तालमेल के लिए उपरोक्त योजना/कार्यक्रम मात्र सुझावपरक है न कि व्यापक। राज्य/संघ शा. क्षेत्र की सरकार केंद्र और राज्यों की अन्य योजनाओं के साथ पीएमएवाई–जी के साथ तालमेल करने के लिए पहल कर सकती है ताकि इन योजनाओं के लाभ पीएमएवाई–जी के

लाभार्थियों को दिये जा सके। राज्य/संघ शा. क्षेत्र लाभार्थियों के कल्याण के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी(सीएसआर) के तहत उपलब्ध निधियों के उपयोग की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं।

8.3 जमीनी स्तर पर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों (अध्याय 7 का पैरा 7.4) को अपनी बैठकों में आवधिक निगरानी और समीक्षा के साथ कार्य सूची के मद के रूप में तालमेल को शामिल करना चाहिए। ये समितियां वार्षिक कार्य योजना में तालमेल के लिए विभिन्न योजनाओं आदि के समावेशन के लिए सलाह भी देंगी।

8.4 चूंकि ग्राम सभा द्वारा यथा–सत्यापित एसईसीसी 2011 का डाटाबेस पीएमएवाई (ग्रामीण) में लाभार्थियों के चयन का आधार है और इस डाटाबेस को अनेक अन्य कार्यक्रमों मं उपयोग में लाया जा रहा है अतः यदि इसका अनुपालन नियमित रूप से किया जाता है तो लाभों के साथ तालमेल बहुत आसान हो जाएगा। इस हेतु लाभार्थी का एस ई सी सी 2011 टिन या ए.एच. एल. टिन क्रमांक अन्य कार्यक्रम के डटबेस में सीड किया जाये।

तालमेल (कन्वर्जेंश)

09

सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मांनिटरिंग)

9. राजस्थान के लिए मकान का डिजाइन

बाड़मेर, पाली, जोधपुर और जैसलमेर जिलों के लिए इस डिजाइन की सिफारिश की गई है।

सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मांनिटरिंग)

9.0 पीएमएवाई–जी के तहत निष्पादन और प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र लागू किया गया है। आवास सॉफ्ट में वर्कफ्लो आधारित ट्रांजेक्शनल डाटा का उपयोग करते हुए प्रगति को रियल टाइम दर्ज करते हुए निष्पादन निगरानी की जाती है। निष्पादन से पूर्व निर्धारित विभिन्न मांनदंडों की निगरानी हेतु सिस्ट्म सृजित रेपोर्ट उपयोग में लायी जायेगी जो आवास साफ्ट पर अंकित किये ट्रांजेकश्न आंकडों को एकत्र कर स्वतः प्राप्य होगी। प्रक्रिया निगरानी के लिए केंद्रीय दलों (क्षेत्राधिकारियों एवं एनएलएम) द्वारा निरीक्षण, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) द्वारा निगरानी, लेखा परीक्षा और राज्य स्तरीय पीएमयू के द्वारा जांच जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं।

9.1 रिपोर्टिंग

9.1.1 ऑवास सॉफ्ट रियल टाइम ट्रांजेक्शनल डाटा के आधार पर विभिन्न मानदंडों पर अनेक सूचनाएं सृजित करता है। पी.एम.ए.जी.वाय. के तहत समस्त आवास सॉफ्ट में सृजित की गई सूचनाओं के आधार पर होंगी। इस योजना के तहत राज्यों/संघ शा. क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी केवल ऑवास सॉफ्ट से सृजित की गई सूचनाओं के माध्यम से की जाएगी।

9.2 निष्पादन

9.2.1 राज्य/संघ शासित क्षेत्र के निष्पादन की निगरानी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मानदंड इस प्रकार होंगेः

क. लक्ष्य निर्धारित करनाः राज्यों/संघ शा.क्षेत्रों को केंद्र से लक्ष्यों की जानकारी मिलने के एक महीने के अंदर जिला और ब्लॉक के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

ख. लाभार्थियों का पंजीकरणः राज्यों/संघ शा. क्षेत्रों को केंद्र से लक्ष्यों की जानकारी मिलने के दो महीने के अंदर लाभार्थियों का पंजीकरण कर देना चाहिए।

ग. लाभार्थी के खाते की फ्रीजिंग और स्वीकृति जारी करना: खाते को फ्रीज करने के बाद, राज्यों/संघ शा.क्षेत्रों को केंद्र से लक्ष्यों की जानकारी मिलने के तीन महीने के अंदर लाभार्थियों को स्वीकृति जारी कर देनी चाहिए। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी)/कोर बैंकिंग सोल्यूशन आधारित डाकघर में लाभार्थी के नए खाते खोले जाने चाहिए।

घ. स्वीकृति मिलने के पंद्रह दिन के अंदर लाभार्थी को पहली किश्त जारी किया जाना चाहिये।

ड़. आवास की स्वीकृति से निर्धारित समय (पैरा 5.6.2 में यथा उल्लिखित) के अंदर लक्ष्यों को पूरा करना।

च. स्वीकृति के तीन महीने के अंदर पहला निरीक्षण किया जाना चाहिये।

9.3 निगरानी (मानिटरिंग)

पीएमएवाई–जी के तहत प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ बहु–स्तरीय और बहु–एजेंसी वाली निगरानी की अवधारणा बनाई गई है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकारों के स्तर पर निगरानी भी की जाती है जिसमें गुणवत्ता और मकान निर्माण को समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

9.3.1 भारत सरकार द्वारा निगरानी

9.3.1.1 भारत सरकार के स्तर पर निगरानी आईटी आधारित ई–शासन प्लेटफॉम के साथ विभिन्न एजेंसियों यथा क्षेत्राधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय निगरानीकर्ताओं और दिशा समिति द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए सत्यापन के माध्यम से की जाती है। लाभार्थियों के चयन, लाभार्थियों को सहायता के संवितरण, निर्माण में हुई प्रगति के सत्यापन, निधियों की रिलीज आदि योजना का आदि से अंत तक निष्पादन एमआईएस–आवास सॉफ्ट आधारित ट्रांजेक्शन एनएबल्ड वर्कफ्लो के माध्यम से किया जाता है।

9.3.1.2 जमीनी स्तर पर निर्माण की चरण–वार वास्तविक प्रगति का सत्यापन और निगरानी, निरीक्षणकर्ताओं अथवा लाभार्थियों द्वारा "आवासएप" एप्लिकेशन आधारित मॉबाइल के उपयोग से भू–संदर्भित, तारीख और समय अंकित फोटोग्राफ्स के माध्यम से किया जाता है।

9.3.1.3 मंत्रालय के राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता और क्षेत्राधिकारी भी पीएमएवाई–जी मकानों का दौरा करेंगे ताकि योजना के तहत निगरानी और अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन उनके क्षेत्रीय दौरों के दौरान हो सके। माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय दिशा समिति भी पीएमएवाई–जी की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

9.3.1.4 राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी राष्ट्र स्तर पर पीएमएवाई–जी के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं का समन्वयन और निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

9.3.2 राज्य/संघ शा. सरकारों द्वारा निगरानी

अध्याय 7 में किए गए उल्लेख के अनुसार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) भी विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन और गुणवत्ता निरीक्षण की निगरानी करेगी। ऐसा सुझाया जाता है कि–

क) ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को जहां तक संभव हो निर्माण के दौरान 10% आवासों का निरीक्षण करना चाहिए।

ख) जिला स्तर के अधिकारियों को निर्माण के दौरान 2% आवासों का निरीक्षण करना चाहिए।

ग) पीएमएवाई–जी के तहत स्वीकृत किए गए प्रत्येक आवास को सरकारी कर्मचारियों (ग्राम रोजगार सहायक अथवा कोई अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारी) के साथ–साथ ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता के साथ टैग किया जाएगा जो कि आवास के पूरा होने तक लाभार्थी की सहायता करेगा।

घ) पीएमयू अध्याय 7 में उल्लिखित सभी कार्यकलापों की निगरानी करेगी।

9.4 समुदाय/भागीदारीपरक निगरानी

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एनआरएलएम, एनजीओ और सिविल सोसाइटी संगठनों(सीएसओ) के तहत आने वाले एसएचजी नेटवर्क की सहायता से मकानों के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की भागीदारीपरक निगरानी के लिए एक समुदाय आधारित भागीदारीपरक निगरानी प्रणाली शुरू की जाए।

9.5 लेखा–परीक्षा

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य स्तर पर पीएमएवाई–जी के खाते और जिला स्तर पर प्रशासानिक निधि खाते की लेखा–परीक्षा सीएंडएजी द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गए चार्टर एकांउटेंट द्वारा की जाए। अगले वित्तीय वर्ष की 31 अगस्त की तारीख से पहले लेखा–परीक्षा पूरी की जानी चाहिए। सभी स्तरों पर सभी पीएमएवाई–जी के खातों को सीएंडएजी के साथ–साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा–परीक्षा विंग द्वारा लेखा–परीक्षा करने के लिए खोले जाएंगे। लेखा परीक्षा हेतु आवास साफ्ट पर अंकित तथ्य व आंकडे विचारित किये जावेंगे।

9.6 सामाजिक लेखा परीक्षा

9.6.1 सामाजिक लेखा–परीक्षा एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जन–सर्तकता और योजना के कार्यान्वयन का सत्यापन शामिल है। सामाजिक लेखा–परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराई जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा भी शामिल होगी।

9.6.2 सामाजिक लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य पीएमएवाई–जी के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जबावदेही सुनिश्चित करना है। इस प्रक्रिया में लेखा–परीक्षा की जरूरतों के साथ–साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी शामिल है। यह एक तथ्यान्वेशी प्रक्रिया है, न कि छिद्रान्वेषण प्रक्रिया।

9.6.3 पीएमएवाई–जी की लेखा–परीक्षा कराने के लिए मनरेगा के तहत राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक लेखा–परीक्षा एककों (एस.ए.यू.) की मदद ली जाएगी। विभिन्न स्तरों पर एसएयू द्वारा निर्धारित किये गए को ग्राम सभा के साथ सामाजिक लेखा–परीक्षा कराने के लिए शामिल किया जाए। इन रिसोर्स पर्सन को लोगों के अधिकारों के लिए काम करने की जानकारी और अनुभव रखने वाले प्राथमिक स्टेकहोलडरों, सिविल सोसाइटी संगठनों, एनआरएलएम के तहत एसएचजी, अन्य संगठनों या व्यक्तियों में से चुना जा सकता है। ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत गुणवत्ता निगरानीकर्ता और समुदाय संसाधन व्यक्ति सामाजिक लेखा–परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होंगे।

9.6.4 रिसोर्स पर्सन पूरे वर्ष के लिए इस लेखा–परीक्षा प्रक्रिया का कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है और सभी राज्य में इसे अलग तरीके से पूरा किया जा सकता है। अगले वर्ष के लिए पीएमएवाई–जी के लिए लाभार्थी के चयन से संबंधित प्रक्रिया और विगत वर्ष के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखा–परीक्षा को उसी ग्राम सभा या जो भी लागू हो की बैठक में पूरा किया जा सकता है। जिन लाभार्थियों का नाम पीएमएवाई–जी की स्थायी प्रतिक्षा सूची में है, उन्हें उस तारीख, समय और सामाजिक लेखा परीक्षा के स्थान के बारे में अग्रिम जानकारी दी जानी चाहिए।

9.6.5 सामाजिक लेखा–परीक्षा के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया सुझाई जाती हैः–

क) सामाजिक लेखा–परीक्षा करने के लिए मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा–परीक्षा एकक/एस.ए.यू. स्थापित किये गए हैं। सामाजिक लेखा–परीक्षा एकक को जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तरों पर रिसोर्स पर्सन का निर्धारण करना चाहिए। इन्हें रिपोर्टिंग फॉर्मेट तैयार करने चाहिए और पीएमएवाई–जी की सामाजिक लेखा–परीक्षा करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करने चाहिए।

ख) ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम पंचायतों के एक समूह के लिए सामाजिक लेखा दल गठित किए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो उन महिला एसएचजी प्रमुखों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो लाभ वंचित सामाजिक समूहों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्ति इत्यादि समूह से हों। सामाजिक लेखा–परीक्षा दल के सदस्य उस ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो से नहीं होने चाहिए, जहां वे सामाजिक लेखा–परीक्षा कर रहे हैं। सभी संसाधन व्यक्तियों और सामाजिक लेखा–परीक्षा दल के सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ग) वर्ष के शुरूआत में सामाजिक लेखा–परीक्षा की समय–सारणी इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि प्रत्येक वर्ष एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामाजिक लेखा–परीक्षा कराई जा सके।

घ) सामाजिक लेखा–परीक्षा एकक को पीएमएवाई–जी के कार्यान्वयन से संबंधित सभी ब्यौरे जैसे दिशा–निर्देश, स्थायी प्रतिक्षा सूची, वार्षिक चयन सूची, विगत लाभार्थियों की सूची, किये गये भुगतान, दी गई सहायता सेवाएं, विभिन्न स्तरों पर किये गए निगरानी दौरे, कराये गए मुख्य निरीक्षणों आदि की जानकारी दी जा सकती है।

ड.) सामाजिक लेखा–परीक्षा दल और रिसोर्स पर्सन लाभार्थियों के साथ में प्रक्रिया और प्रक्रियाविधि के संबंध में निम्नलिखित का सत्यापन करेंगेः–

i. क्या लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकों के बारे में जानकारी दे दी गई है?क्या पीएमएवाई–जी के तहत सहायता पाने के लिए पात्र लाभार्थियों की स्थाई प्रतीक्षा सूची एसईसीसी–2011 के आंकड़ों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार कर ली गई है?क्या प्राथमिकता सूची से हटाने अथवा उसमें परिवर्तन किए जाने से संबंधित अपील अवसरों का लाभ मिल चुका है?क्या पूरी प्रक्रिया और सूचियों को व्यापक रूप से प्रचारित कर दिया गया है? क्या लाभार्थियों की वार्षिक चयन सूची स्थाई प्रतीक्षा सूची की प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर ली गई है?क्या लाभार्थी का पंजीकरण आवास सॉफ्ट आदि में समय से दर्ज कर लिया गया है?

ii. आवास का निर्माण कार्य पूरा करने की प्रगति

iii. आवास के निर्माण की गुणवत्ता

iv. क्या लाभार्थी सहायता सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं?

v. विभिन्न योजनाओं में तालमेल कर लिया गया है।

vi. शिकायत और उनका उचित एवं समय से निपटारा

च) उपरोक्त सत्यापन के बाद सामाजिक लेखा–परीक्षा दल के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की अध्यक्षता उस वयोवृद्ध व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, जो उस ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो या कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी का हिस्सा नहीं है। ग्राम सभा या जो भी लागू हो उन सभी लाभार्थियों के लिए एक मंच होगा, जो लाभार्थियों की अंतिम सूची और वार्षिक चयन सूची और पीएमएवाई–जी के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे उठाने वाले अन्य ग्रामीणों के रूप में हों। सरकार सामाजिक लेखा–परीक्षा ग्राम सभा के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकती है। इन संपूर्ण प्रक्रियाओं की उचित तरीके से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए और इन्हें पी.एम.ए.वाई.जी. वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

छ) सामाजिक लेखा–परीक्षा की रिपोर्ट स्थानीय भाषा में तैयार की जानी चाहिए और इन

पर सामाजिक लेखा–परीक्षा के लिए ग्राम सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड पर इनको लगाना चाहिए। ग्राम पंचायतों और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सामाजिक लेखा–परीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए और की गई कार्रवाई रिपोर्ट को राज्य सामाजिक लेखा–परीक्षा एकक को भेजनी चाहिए। इसे अगली सामाजिक लेखा–परीक्षा ग्राम सभा के सामने भी रखा जाना चाहिए।

सूचना एवं निगरानी (रिपोर्टिंग एवं मांनिटरिंग)

10

निधि प्रबंधन और रिलीज

10. छत्तीसगढ़ के लिए मकान का डिजाइन

टेराकोटा छत और मिट्टी के गारा वाले मकानों की डिजाइन।

निधि प्रबंधन और रिलीज

10 निधि प्रबंधन

10.1 मूल सिद्धांत

क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर एकल बचत बैंक खाता रखेंगे। इसके बाद इस खाते को राज्य नोडल खाते (एसएनए) के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

ख) राज्य एसएनए में वार्षिक केंद्रीय आवंटन (आवास निर्माण के लिए सहायता और प्रशासनिक निधि) के साथ–साथ सदृश्य राज्य अंश जमा करेंगे। राज्य/संघ शा. क्षेत्र की सरकारें मंत्रालय को बैंक, शाखा और खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि के ब्यौरे की जानकारी देंगे। एसएनए को भी पीएफएमएस के साथ आवास सॉफ्ट में दर्ज किया जाएगा।

ग) एसएनए का प्रचालन निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के माध्यम से केवल इलेक्ट्रोनिक रूप से ही किया जाएगा और इससे राशि निकालने के लिए किसी भी अन्य तरीके की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ) राज्य/संघ शासित सरकार दो प्राधिकरणों अर्थात एक सृजक/निर्माता/प्रथम हस्ताक्षरी और अनुमोदक/निरीक्षणकर्ता/द्वितीय हस्ताक्षरी राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर और लाभार्थियों को सहायता देने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्राधिकारी नियुक्त करेगी। इन दो प्राधिकारियों द्वारा एफटीओ पर डिजीटली (इलेक्ट्रोनिक) रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। एफटीओ का सृजन करने के लिए पीएफएमएस सहित क्षेत्राधिकार वाले स्थान की जानकारी देने वाले प्राधिकृत आधिकारियों के डिजीटल हस्ताक्षर को राज्य/सं.शासित क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।

ङ) विनिर्दिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा नाबार्ड के माध्यम से उधार ली गई

राशि में से राज्यों को देय वार्षिक आवंटन का अंश एसएनए में जमा कराया जाएगा। सभी उद्देश्य के लिए एसपीवी अंश से केंद्रीय रिलीज के सामान, कार्यक्रम एवं प्रशासनिक निधियां रिलीज की जाएंगी।

च) राज्य स्तर पर अनुमेय प्रशासनिक निधि एक अलग बजट बैंक खाते में रखी जाएगी और एफटीओ के माध्यम से एसएनए से इसका अंतरण किया जाएगा।

छ) जिले केवल प्रशासनिक निधियों की लेन–देन करने के लिए एक बचत बैंक खाते का रख–रखाव करेंगे। प्रशासनिक निधि के अतिरिक्त कोई भी कार्यक्रम निधि जिलों को अंतरित नहीं की जाएगी। एसएनए से जिले के लिए प्रशासनिक निधियों का अंतरण एफटीओ के माध्यम से किया जाएगा। इन खातों को पीएफएमएस के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

ज) डिजीटल हस्ताक्षरित एफटीओ के माध्यम से लाभार्थियों को उनके पंजीकृत बैंक/कोर बैंकिग आधारित डाकघर खातों में सहायता राशि का अंतरण किया जाएगा। लाभार्थियों को निधियों का अंतरण करने के लिए लाभार्थियों का बैंक/डाकघर खाता आवास सॉफ्ट पर फ्रीज कर दिया जाएगा। जहां तक सम्भव हो इसे आवास पूर्ण होनें तक परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। अंतरण की गई राशि राज्य/सं. शा. क्षेत्र द्वारा निर्धारित की गई किश्तों के अनुसार होगी।

झ) यदि पीएमएवाई–जी लाभार्थी वित्तीय संस्थाओं से ऋण उधार लेने का विकल्प चुनता है, तो लाभार्थी ऋण खाते में पीएमएवाई–जी निधियों को प्राप्त कर सकता है।

ञ) अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन से ही लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के स्थान पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी और यह आपूर्ति राज्य/संघ शा. क्षेत्र की सरकारों द्वारा चुने गए आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी।

ट) राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकार निधि अंतरण आदेशों (एफटीओ) के द्वारा एसएनए से आपूर्तिकर्ता को सीधे भुगतान अंतरण करेगी। आपूर्तिकर्ता राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकार का विभाग/एजेंसी अथवा निजी प्रतिष्ठान हो सकता है।

ठ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद, 01 अप्रैल को अथशेष का मिलान वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल तक आवास सॉफ्ट के अनुसार एसएनए में जमा बैंक राशि

और शेष राशि से किया जाएगा। 15 मई तक राज्य नोडल खाते की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय में जरूर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

10.2 निधि की रिलीज और लेखांकन

क) लेखांकन और राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों को निधियों की रिलीज के लिए राज्य को इकाई के तौर पर माना जायेगा।

ख) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दो किश्तो में वार्षिक केंद्रीय आवंटन किया जाएगा। पहली किश्त कुल वार्षिक वित्तीय आवंटन के 50 प्रतिशत के रूप में होगी और दूसरी किश्त वार्षिक आवंटन में से पहली किश्त और दिशा–निर्देशों में निर्धारित अनुकूल कटौती (राज्य अंश/प्रशासनिक व्यय आदि की कमी) करके दी जाएगी।

ग) क्रमानुसार विधानमंडल वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यक्रम निधियों की रिलीज के लिए केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार मंत्रालय विधानमंडल वाले राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की समेकित निधि में निधियां रिलीज करेगा। बिना विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकार–पत्र के माध्यम से निधियां रिलीज की जाएगी।

घ) विविध प्राप्तियां और पीएमएवाई–जी की निधियों से अर्जित ब्याज राशि को योजना संसाधनों के भाग के रूप में माना जाएगा। ये निर्देश केंद्र और राज्य मेचिंग शेयर पर लागू होंगे।

ड.) राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकांश व्यय पहले कर सकते हैं और बाद में ऐसी राशि पर अर्जित ब्याज सहित इसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार की निधियों से कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के मैंचिंग शेयर के अलावा राज्य अग्रिमों से अर्जित ब्याज राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्पष्ट रूप से हिसाब रखा जाएगा। यद्यपि, एसएनए के संचालन से संबंधित नियम लागू होंगे।

च) राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने संसाधनों से पीएमएवाई–जी के तहत इकाई सहायता में वृद्धि करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे ऐसा या तो एसएनए के माध्यम से अथवा अलग खाते के माध्यम से कर सकते हैं। यदि वे इस वृद्धि के लिए एसएनए का चयन करते हैं तो इस विकल्प की सूचना मंत्रालय को दी जाए ताकि आवाससॉफ्ट में जरूरी समायोजन किया

जा सके। ऐसी स्थिति में एसएन के संचालन से संबंधित नियम लागू होंगे। इसके अलावा, वे हिसाब–किताब के लिए प्रतिपूरक निधियों से अर्जित ब्याज का विवरण अलग से रखेंगे।

10.3 प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण और निधियों की रिलीज

10.3.1 प्रस्ताव प्रस्तुत करने और निधियों की रिलीज करने के उद्देश्य से राज्य/सं.शा.क्षेत्र एक इकाई होगा। राज्य/सं.शा.क्षेत्र निधियों की रिलीज के लिए मंत्रालय में एक समेकित प्रस्ताव भेजेगा। निधियों की रिलीज के लिए पूरी की जानी सभी शर्तें और उपयोग के लिए आवश्यक प्रतिशत की गणना राज्य/सं.शा.क्षेत्र स्तर पर की जाएगी।

10.3.2 जैसे ही सभी लेन–देन इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर किये जाते हैं, निधियों की रिलीज से संबंधित प्रस्ताव पूर्व परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाएंगे और सहायक दस्तावेज स्वःनिर्मित शर्तों पर आधारित होंगे और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद अपलोड किए जाएंगे।

10.4 पहली किश्त की रिलीज की प्रक्रिया

पहली किश्त विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए कुल वित्तीय आवंटन के केंद्रीय अंश की 50% होगी। राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए पहली किश्त वित्तीय वर्ष के शुरू में उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को रिलीज की जाएगी, जिन्होंने पिछली रिलीजों के समय निर्धारित की गई, विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर, यदि कोई हों, विगत वित्तीय वर्ष की दूसरी किश्त प्राप्त कर ली हो अथवा उसका पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया हो।

10.5 दूसरी किश्त की रिलीज की प्रक्रिया

10.5.1 राज्य दूसरी किश्त की रिलीज के लिए राज्य/सं.शसित क्षेत्र के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव आवास सॉफ्ट पर निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर होने चाहिए, जिनके साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट संग्लन होनी चाहिए।

10.5.2 राज्य/सं. शा.क्षेत्र के लिए दूसरी किश्त की रिलीज निम्नलिखित शर्तों के आधार पर की जाएगीः

क. आवास सॉफ्ट पर कुल उपलब्ध निधियों का 60% उपयोग।

ख. निर्धारित मानदंड और संकेतकों के अनुसार वास्तविक प्रगति की उपलब्धि इस प्रकार है:–

वर्ष'	**मानदंड**	**संकेतक**
वर्तमान वर्ष	लक्ष्य निर्धारित करना	100 प्रतिशत
वर्तमान वर्ष	मंजूरी देना	लक्ष्य का 95 प्रतिशत
वर्तमान वर्ष	लाभार्थी का खाते फ्रीज करना	मंजूरी का 100 प्रतिशत
वर्तमान वर्ष	लाभार्थी को पहली किश्त रिलीज करना	एफटीओ तैयार करने के संबंध में मंजूरी का 100 प्रतिशत
विगत वर्ष	निर्मित मकान	मंजूरी का 80 प्रतिशत

*यदि दूसरी किश्त का दावा अगले वित्तीय वर्ष में किया जाता है तो वर्तमान वर्ष का आशय उस वित्तीय वर्ष से होगा जिसमें पहली किश्त रिलीज की गई थी। ऊपर यथा उल्लिखित 'विगत वर्ष' का आशय भी इसी प्रकार होगा।

ग. विगत रिलीज के दौरान विशेष रूप से दर्शाई गई अन्य शर्त।

10.5.3 राज्य दूसरी किश्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करेगी।

क. निर्धारित प्रोफोर्मा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

ख. विगत वित्तीय वर्ष (वर्षों) के दौरान प्राप्त निधियों के लिए निर्धारित प्रोफोर्मा में उपयोग प्रमाण पत्र।

ग. चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त निधियों का व्यय पत्रक निर्धरित प्रपत्र

घ. विगत वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए राज्य की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट। यदि लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में अनियमितता दर्शाई गई है, तो ऐसी अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी दी जानी चाहिए।

ड़. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गए अ.जा./अ.ज.जा. अल्पसंख्यक/विकलांग के लिए निर्धारित किए और राज्य सरकारों द्वारा जिलों में वितरित किए गए लक्ष्य।

च. उपरोक्त श्रेणियों में पिछले वर्ष के मौलिक लक्ष्यों के विरुद्ध वास्तविक वृद्धि।

छ. अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के कार्यवृत में उठाए गए मुद्दों के अनुपालन की स्थिति।

ज. पिछली किश्त की रिलीज के दौरान ग्रामीण मंत्रालय द्वारा लगाई गई शर्तों के अनुपालन की स्थिति।

झ. निधियों के अन्यत्र उपयोग न किए जाने और गबन न किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र।

ण. पिछले वित्तीय वर्ष के लिए राज्यांश की रिलीज के स्वीकृति आदेशों की प्रतियां और राज्य नोडल खाते में निधियों के वास्तविक लेन–देन को दर्शाने वाले बैंक विवरण के रूप में दस्तावेज तथा इसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड करना

ट. विगत और मौजूदा वित्तीय वर्ष(वर्षों) के लिए प्रशासनिक व्ययों हेतु उपयोग प्रमाण पत्र।

ठ. राज्य से यह बताने वाले प्रमाण पत्र की प्रशासनिक निधि का उपयोग केवल अनुमेय शीर्षों पर ही किया गया है।

ड. राज्य समेकित निधि से राज्य नोडल खाते में केंद्रीय अंश के अंतरण में हुए विलंब के मामले में दण्ड स्वरूप ब्याज राशि जमा करने संबंधी प्रमाण पत्र।

10.5.3.1 द्वितीय किश्त निर्गत करने हेतु प्रस्ताव एवम चेक लिस्ट क्रमशः अनुबंध III ए एवम अनुबंध II पर दिया गया है. उपयोगिता प्रमाण पत्र एवम व्यय पत्रक का प्रारूप क्रमशः अनुबंध IV एवम V पर है.

10.5.4 दूसरी किश्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा

क) राज्य/संघ शासित क्षेत्र दूसरी किश्त की रिलीज के लिए वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर तक सभी तरह से पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। अगर वित्तीय वर्ष अंतर्गत वित्तीय किश्त निर्गत करने हेतु प्रस्ताव 31 दिसंबर के पश्चात प्राप्त होता है और उसे प्रोसेस कर लिया जाता है तो निधि उपलब्धता के आधीन प्रस्ताव पश्चात विचार किया जाकर उसी वित्तीय वर्ष मे राशि निर्गत की जा सकती है।

10.6 राज्य अंश की रिलीज

10.6.1 केंद्रीय अंश की रिलीज की 15 दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार केंद्रीय अंश के समान पूर्ण राज्य अंश रिलीज करेगी। केंद्रीय अंश के बराबर राज्य अंश की राशि, चाहे रिलीज हुई हो अथवा नहीं, को कुल उपलब्ध निधि (टीएएफ) की गणना तथा अगली किश्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रोसेस करते समय उपयोग प्रतिशत के लिए संदर्भित किया जाएगा। राज्य अंश रिलीज किए जाने वाले स्वीकृति आदेश की एक प्रति आवाससॉफ्ट पर अपलोड की जानी होगी।

10.6.2 विगत वित्तीय वर्ष में राज्य अंश की किसी कमी के मामले में, मौजूदा वित्तीय वर्ष के केंद्रीय अंश की दूसरी राशि से कमी के बराबर राशि घटा दी जाएगी। केंद्रीय राशि से घटाई गई इस राशि की कमी तब पूरी की जाएगी जब ऊपर उल्लिखित राज्य अंश की कमी राशि रिलीज कर दी जाएगी और इस रिलीज का स्वीकृति आदेश आवाससॉफ्ट पर अपलोड कर दिया जाएगा। राज्य सरकार को इस घटाई गई राशि की पूर्ति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

10.7 राज्य समेकित निधि से राज्य नोडल खाते में निधियों का अंतरण

प्रशासनिक निधियों सहित राज्य समेकित निधि को भेजी गयी निधियों के केंद्रीय आवंटन को 15 दिनों की अवधि में राज्य नोडल खाते में अंतरित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर 12 प्रतिशत का दांडिक ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज राज्य नोडल खाते (एसएनए) को 15 दिन के अंदर अंतरित न किए गए केंद्रीय अंश की राशि पर लगाई जाएगी। राज्य अगली किश्त की रिलीज के समय दांडिक ब्याज जमा करने से संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगा और ऐसा न होने पर केंद्रीय अंश से 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की गणना करके उसके बराबर राशि घटा दी जाएगी।

10.8 पुनः आवंटन

अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित की गई समयावधि के अंदर अपनी आवंटित की गई निधियों/लक्ष्यों का उपयोग करने में यदि कोई राज्य असमर्थ होता है तो समिति बेहतर निष्पादन करने वाले अन्य राज्यों को लक्ष्यों का पुनः आवंटन कर सकती है ताकि योजना का उद्देश्य पूरा हो सके। यह पुनः आवंटन उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र को किया जाएगा जिसने इसे रिलीज किए गए वार्षिक आवंटन उपयोग करने के बाद जनवरी तक अतिरिक्त निधियों के लिए विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया हो।

10.9 प्रशासनिक व्यय

i. राज्यों को प्रशासनिक निधियां दो किस्तों में रिलीज की जाएंगी।

ii. पीएमएवाई–जी के तहत प्रशासनिक निधियों की पहली किश्त कार्यक्रम निधियों के साथ बिना शर्त रिलीज की जाएगी। इन निधियों का समय से उपयोग और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियां अप्रयुक्त न पड़ी रहें, राज्यों के पास कुल उपलब्ध प्रशासनिक निधियों के 60 प्रतिशत उपयोग करने के बाद ही प्रशासनिक निधियां रिलीज की जाएंगी।

iii. प्रशासनिक निधियों का लेखा–जोखा कार्यक्रम निधि से अलग किया जाएगा।

iv. केंद्र सरकार द्वारा समस्त प्रशासनिक निधि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की समेकित निधि से की जाएगी।

v. प्रशासनिक निधि भी राज्य नोडल खाते में जमा की जाएगी।

vi. जिलों को प्रशासनिक निधियों का अंतरण आवाससॉफ्ट–पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर एफटीओ के सृजन के माध्यम से किया जाएगा। जिला खाते आवास सॉफ्ट पर पंजीकृत किए जाएंगे। राज्य स्तर पर रखे जाने वाली प्रशासनिक निधियों के लिए राज्य स्तर पर एक अलग खाता खोला जाएगा और आवाससॉफ्ट पर पंजीकृत किया जाएगा। एसएनए को प्रशासनिक निधियां एफटीओ के माध्यम से उस खाते में अंतरित की जाएंगी।

vii. राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार प्रशासनिक निधियों हेतु निर्गत होने वाली किश्तों की रिलीज के लिए एक पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। द्वितीय किश्त के रिलीज हेतु प्रस्ताव का प्रारूप अनुबंध III बी में दिया गया है और प्रशासनिक निधियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र एवम व्यय पत्रक हेतु पत्रक ख्रोफोर्मा, क्रमशः अनुबंध–VI और VII में दिया गया है।

viii. कार्यक्रम निधियों की रिलीज प्रशासनिक निधियों के उपयोग के आधार पर नहीं की जाएगी।

11

विशेष परियोजनाएं

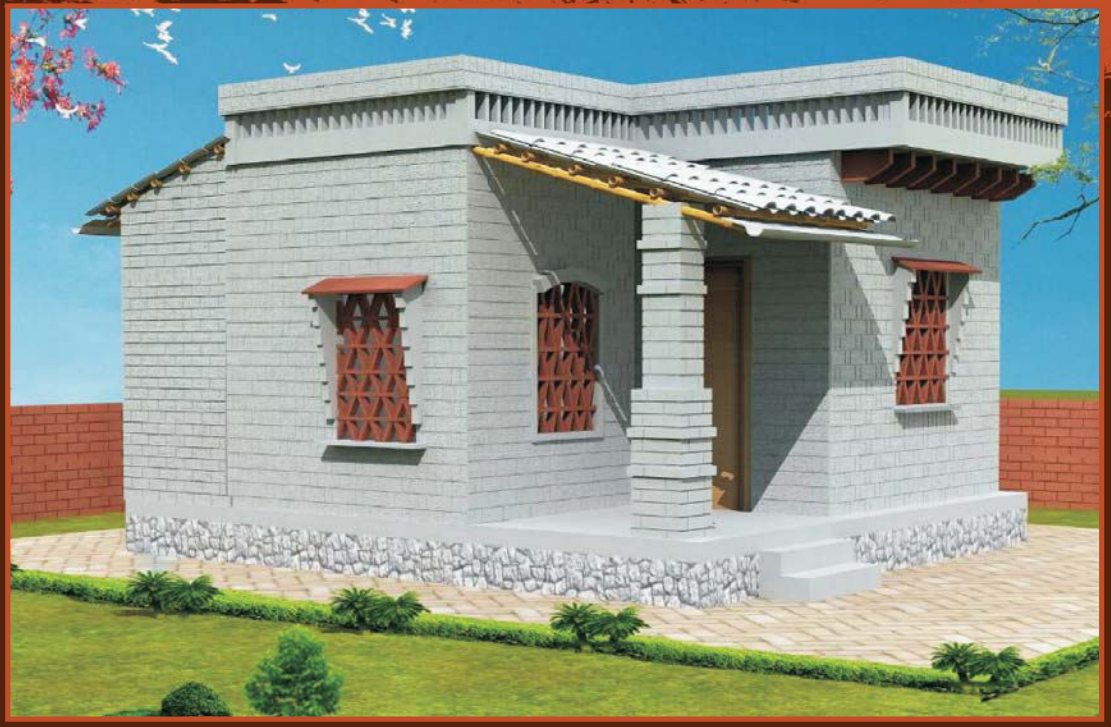

11. उत्तर प्रदेश के लिए मकान का डिजाइन

रैट ट्रॅप बॉन्ड पर फ्लाई ऍश का इस्तेमाल करते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए डिजाइन।

विशेष परियोजनाएं

11.1 विशेष परियोजनाओं के लिए आवंटन

11.1.1 पीएमएवाई–जी के तहत वार्षिक केंद्रीय आवंटन का 5% केंद्रीय सरकार के स्तर पर आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा। इस निधि का उपयोग विशेष परियोजनाओं के तहत राज्यों से प्राप्त किए गए प्रस्तावों के लिए किया जाएगा। विशेष परियोजनाओं के लिए राज्य निम्नलिखित के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है:

क. उन परिवारों का पुर्नवास/पुर्नावंटन जिनके मकान निम्न कारणों से पूरी तरह सेध्आंशिक रूप से टूट–फूट गए हैं:

i. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राष्ट्रीय आपदा प्रंबधन योजना में दी गई प्राकृतिक आपदाएं–बाढ़, भूंकप, आग आदि।

ii. कानून व्यवस्था से संबंधित समस्याएं।

ख. निम्नलिखित के कारण प्राभावित/लाभन्वित परिवार

i. अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित मुद्दें

ii. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

iii. पेशों से जुड़ी बीमारी जैसे सिलीकोसिस, एसबेस्टोस, कीटनाशक दवाइयों के अत्यधिक उपयोग से प्रभावित व्यक्ति

ग. आत्मसर्मपण करने वाले उग्रवादी और उनके परिवारों का पुर्नावास

घ. विशेष तौर पर किफायती एवं ग्रीन प्रौद्योगिकियों और स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए नई प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन

11.2 विशेष परियोजना के लिए प्रस्ताव

11.2.1 राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकार को ग्रामीण विकास मंत्रालय में विशेष परियोजनाओं के लिए उपयुक्त ब्यौरे और औचित्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के मामले में प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर इन पर विचार किया जाए और सचिव (ग्रामीण विकास), भारत सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए। ततपश्चात बाद में इस प्रस्ताव को पूर्वव्यापी अनुमोदन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

11.2.2 प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राज्य को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिएः–

क) उन लाभार्थियों का निर्धारण करना, जिन्हें विशेष परियोजना के तहत सहायता दी जानी है। (एस.ई.सी.सी. 2011 सूची से टिन या ए.एच.एल.टिन सहित)

ख) विशेष परियोजनाओं के तहत निर्धारित किए गए लाभार्थी उन परिवारों से हैं, जिन्हें स्थायी प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध किया गया है।

ग) नई प्रौद्योगिकी प्रदर्शने के संबंध में लाभार्थियों ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन शुरू करने के लिए सहमति दी है।

11.3 विशेष परियोजनाओं के लिए निधि

क) विशेष परियोजनाओं के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 2 किश्तों में निधियां रिलीज की जाएगी।

ख) पहली किश्त कुल परियोजना लागत की 50 प्रतिशत लागत के समान होगी।

ग) दूसरी किश्त कुल परियोजना लागत के समान होगी, जिसमें से पहली किश्त कम कर दी जाएगी और राज्य/सं.शा. क्षेत्र के अंश की कमी के कारण कटौती की जाएगी।

घ) राज्यों/विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों की समेकन निधियों में विशेष परियोजना हेतु सभी के लिए रिलीज की जाएगी।

ड़) राज्य स्तर पर पीएफएमएस के माध्यम से बैंक खातों से लाभार्थियों को सीधे सहायता दी जाएगी।

च) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को की गई पहली किश्त की रिलीज की तारीख से एक वर्ष के अंदर विशेष परियोजनाओं के संबंध में खातों का निपटान किया जाएगा।

11.4 विशेष परियोजना के तहत निधियों के रिलीज की प्रक्रिया

11.4.1.1 निम्नलिखित शर्तों पर परियोजना के अनुमोदन के बाद पहली किश्त स्वतः ही रिलीज हो जाएगीः—

क. पूर्व में मंजूर की गई विशेष परियोजनाओं के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर

ख. वर्तमान प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष पहले मंजूर की गई विशेष परियोजना के संबंध में खातों का निपटान

11.4.1.2 विशेष परियोजना में किसी प्रकार की छूट के लिए किए गए अनुरोध पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया जाएगाः—

11.4.2 विशेष परियोजनाओं के तहत दूसरी किश्त की रिलीज निम्नलिखित शर्तों के आधार पर की जाएगी।

क. विशेष परियोजनाओं के तहत कुल उपलब्ध निधि का 60 प्रतिशत उपयोग, जिसे आवास सॉफ्ट पर दर्शाया गया हो;

ख. भू—संदर्भित समय/दिनांक सहित फोटोग्राफों के साथ—साथ विशेष परियोजनाओं की प्रगति अपलोड करना

ग. पूर्व रिलीज के दौरान यदि कोई शर्ते दर्शायी गई हो, तो उसे पूरा करना

घ. दूसरी किश्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष पहले मंजूर की गई विशेष परियोजना के संबंध में खातों का निपटान

11.4.3 दूसरी किश्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव सहित निम्नलिखित दस्तावेज राज्य सरकार प्रदान करेगें:–

क. निर्धारित प्रोफॉर्मा में उपयोग प्रमाण पत्र (अनुबंध IV)

ख. आवास सॉफ्ट पर परियोजना के लिए राज्य अंश रिलीज करने वाले स्वीकृति आदेशों की प्रति अपलोड करना

ग. पहली किश्त के रूप में रिलीज की गई निधियों के संबंध में लेखा–परीक्षा रिपोर्ट। यदि लेखा–परीक्षा रिर्पोट में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो इन अनियमितताओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी दी जानी चाहिए।

11.5 विशेष परियोजनाओं के तहत प्रशासनिक व्यय

क) विशेष परियोजनाओं और सामान्य पीएमएवाई–जी के तहत प्रशासनिक निधि को सभी उद्देश्यों के लिए एकल निधि के रूप में माना जाएगा।

ख) विशेष परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई प्रशासनिक निधि की मात्रा विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के सामान्य पीएमएवाई–जी के तहत रिलीज की गई प्रशासनिक निधियों में शामिल की जाएगी।

ग) विशेष परियोजना की किश्तो के साथ प्रशासनिक निधि रिलीज की जा सकती है।

12

शिकायत निपटान

12. प. बंगाल के लिए मकान का डिजाइन

उच्च तापमान वाले क्षेत्रों और भूकंपी क्षेत्र 3 में आने वाले क्षेत्रों के साथ–साथ गंगा बाढ़ समतल क्षेत्र के लिए डिजाइन।

शिकायत निपटान

12.1 ग्राम पंचायत या जो भी लागू हो, ब्लॉक, जिला और राज्य जैसे विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायत का निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी पदनामित किए जाने की आवश्यकता है।

12.2 प्रत्येक स्तर पर विनिर्दिष्ट अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि में शिकायत का निपटान करे।

12.3 शिकायत के निपटान के लिए प्रत्येक स्तर पर पदनामित अधिकारी के (नाम, टेलीफोन नंबर और पते सहित) उन अधिकारियों की जानकारी और शिकायत दायर करने की प्रक्रिया प्रत्येक पंचायत में स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। इस प्रकार दर्शाई गई प्रक्रिया में उन उपायों का ब्यौरा भी दर्शाया जाना चाहिए, जो शिकायतकर्ता को तब अपनानें होंगे यदि वह अपनी शिकायत निपटान से असंतुष्ट हो कर उचच स्तर पर जाना चाहे। सीपी ग्रामस पोर्टल (cgportal.gov.in) पर शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता भी बढाई जानी चाहिए।

12.4 जहां तक सीपी ग्रामस के माध्यम से या अन्यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों का संबंध है, ये शिकायतें, कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संबंधित राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकार को भेजी जाएंगी। शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर पदनामित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि में शिकायतों का निपटान करके की गई कार्यवाही रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करे और शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दे।

12.5 शिकायतों का शीघ्र निपटान करने और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों को अपलोड करने के उद्देश्य से राज्य/संघ शा. क्षेत्र मनरेगा के तहत आम्बेड्समैन की सेवाओं का उपयोग करते हुए यह विचार कर सकता है कि पीएमएवाई–जी के तहत अनियमितताओं के तहत शिकायतों और बताए गए अनियमितताओं के प्रकरणों का निपटान किया जाए।

13

पीएमएवाई–जी में ई–शासन

13. छत्तीसगढ़ के लिए मकान का डिजाइन

दक्षिणी छत्तीसगढ़ में चौखंडी तरीके से बने प्रस्तावित डिजाइन।

पीएमएवाई–जी में ई–शासन

13.0 पीएमएवाई–जी कार्यक्रम का कार्यान्वयन और निगरानी निरंतर ई–शासन मॉडल के माध्यम से की जाएगी। इस योजना में ई–शासन आधारित सेवा प्रदायगी की 2 प्रणालियां इस प्रकार होंगी :

क) पीएमएवाई–जी एमआईएस–आवास सॉफ्ट, और

ख) पीएमएवाई–जी मोबाइल अनुप्रयोग–आवास ऐप।

13.1 आवास सॉफ्ट

आवास सॉफ्ट पीएमएवाई–जी में ई–शासन को सुकर बनाने वाला वेब आधारित इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदायगी प्लेटफार्म है। यह प्रणाली एनआईसी के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आवास प्रभाग में ही तैयार की गई। पीएमएवाई–जी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे एसईसीसी से लाभार्थियों का निर्धारण, लक्ष्यों का निर्धारण, निधियों की रिलीज, लाभार्थी को स्वीकृति आदेश जारी किए जाने, आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी और लाभार्थी को सहायता राशि की रिलीज जैसे सभी प्रमुख कार्य आवास सॉफ्ट के माध्यम से किए जाते हैं। लाभार्थियों की प्रतिक्षा सूची अंतिम रूप से पूरा कर लेने के बाद इस योजना के कार्यान्वयन में आवास सॉफ्ट के माध्यम से ट्रांजेक्ट वर्कफ्लो डाइग्राम 1 में दर्शाया गया है।

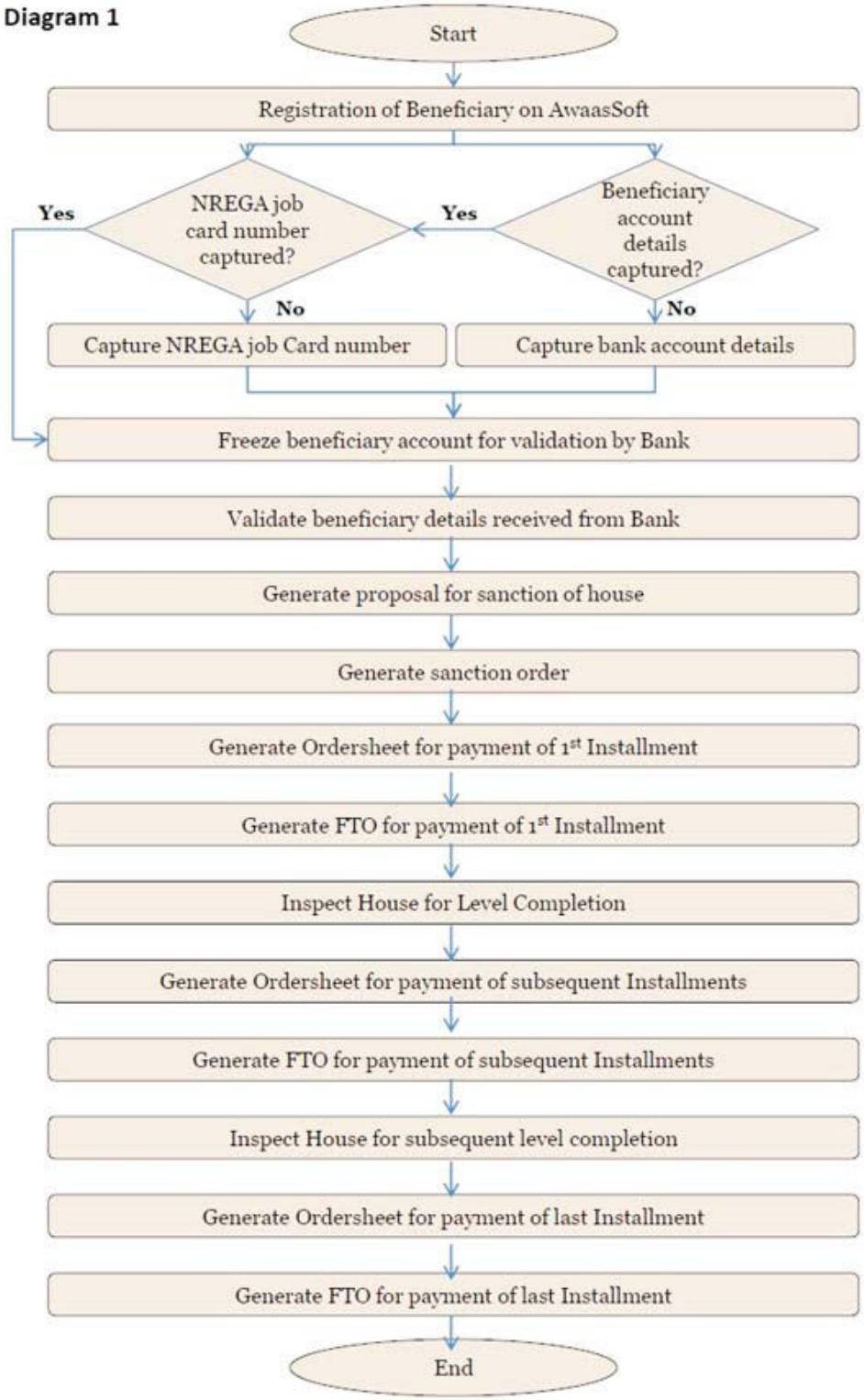
Diagram 1
Start
Registration of Beneficiary on AwaasSoft
NREGA job card number captured?
Yes
Beneficiary account details captured?
Yes
No
No
Capture NREGA job Card number
Capture bank account details
Freeze beneficiary account for validation by Bank
Validate beneficiary details received from Bank
Generate proposal for sanction of house
Generate sanction order
Generate Ordersheet for payment of 1st Installment
Generate FTO for payment of 1st Installment
Inspect House for Level Completion
Generate Ordersheet for payment of subsequent Installments
Generate FTO for payment of subsequent Installments
Inspect House for subsequent level completion
Generate Ordersheet for payment of last Installment
Generate FTO for payment of last Installment
End

13.1.1 आवाससॉफ्ट की विशेषताएं

इस एमआईएस में राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर उपयोग किए जाने के लिए अलग–अलग मॉड्यूल उपलब्ध हैं। पीएमएवाई–जी योजना के कार्यान्वयन में अपेक्षित विभिन्न लेन–देन का निष्पादन करने और उनके परिणामों को दर्ज करने के लिए माड्यूल तैयार किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण मॉड्यूल इस प्रकार हैं : –

(क) एक वर्ष के लक्ष्यों का निर्धारण

ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर लक्ष्य के निर्धारण (वास्तविक एवं वित्तीय) हेतु यह उपयोगी होगा है।

(ख) पीएमएवाई (जी) के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन

एसईसीसी–2011 के डाटा बेस के अनुसार पात्र लाभार्थियों की ग्राम पंचायत वार सूची उपलब्ध कराने, लाभार्थियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने, एसईसीसी डाटाबेस में पंचायतों/गांवों और लाभार्थियों की खोज करने, ग्राम सभा संकल्प अपलोड करने, वरीयता सूची तैयार करने, सत्यापन पर पुर्नविचार हेतु उपयोगी होगा।

(ग) लाभार्थी प्रबंधन

लाभार्थियों का पंजीकरण, लाभार्थियों के फोटोग्राफ (आवास सहित) अपलोड करने, व्यक्तिगत, बैंक/डाकघर खातों की संख्या दर्ज करने और आधार संख्या, मनरेगा जॉब कार्ड संख्या आदि दर्ज करने हेतु।

(घ) निधि प्रबंधन

केंद्र और राज्य से निधियों की प्राप्ति तथा जिला, ब्लॉकों को निधियों का अंतरण और लाभार्थी को प्रदान की गई सहायता दर्शाई जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य नोडल बैंक खातों का ब्यौरा दर्ज करने, लाभार्थियों के बैंक खातों का ब्यौरा फ्रीज करने, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निर्धारित करना और डीएससी को सक्रिय/निष्क्रिय बनाना और आदेश पत्र तैयार करने हेतु।

(ड़) स्वीकृति प्रबंधन

आवासों की मंजूरी से संबंधित ब्यौरा दर्ज करना, स्वीकृति का सम्पादन करना, और की गई मंजूरी को खत्म करना,

(च) निर्माण कार्य की प्रगति

ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत के स्तर पर आवासों के नियमित निरीक्षण हेतु उपयोग होगा। आवासों के निर्माण कार्य के विभिन्न स्तरों के फोटो लिए जाते हैं और उन ब्यौरा का सत्यापन किया जाता है तथा उन्हें "आवास ऐप" की सहायता से आवाससॉफ्ट में अपलोड किया जाता है। इसमें अधिकारियों और निगरानीकर्ताओं के लिए आवासों के सत्यापन पर टिप्पण करने का भी प्रावधान है।

13.1.2 आवाससॉफ्ट / आवासएप पर विभिन्न प्रयोक्ता स्तरों पर किए जाने वाले कार्य

प्रयोक्ता स्तर	आवाससॉफ्ट / आवासएप के माध्यम से किए जाने वाले कार्य
केंद्र	• राज्यों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण • राज्यों को निधियों के रिलीज की स्वीकृति अपलोड करना • राज्य नोडल खातों का अनुमोदन
राज्य / सं.शा.क्षेत्र	• जिलों को लक्ष्यों का आवंटन • राज्य डेबिट खाते का ब्यौरा जोड़ना • केंद्र से निधियों की प्राप्ति की पुष्टि करना • राज्य का अंश रिलीज करना • किस्तों की राशि और भुगतान के स्तरों का निर्धारण करना • प्रशासनिक निधि के अंतरण के लिए एफटीओ तैयार करना • डिजिटल हस्ताक्षरकर्ता स्तरों का निर्धारण • डीएससी को सक्रिय करनाधनिष्क्रिय करना • बैंक / शाखा प्रमुख सूची का प्रंबधन करना • प्रशासनिक निधि का भुगतान करने के लिए एफटीओ तैयार करना
जिला	• आवास की स्वीकृति के प्रस्ताव की समीक्षा करना व उसे अनुमोदित करना • ब्लॉकों को लक्ष्यों का आवंटन करना • एफटीओ के लिए आदेश पत्र तैयार करना (यदि लागू हो) • किश्तों के भुगतान एफटीओ तैयार करना (यदि लागू हो)
ब्लॉक	• एसईसीसी के आकड़ों के सत्यापन के बाद लाभार्थी प्रतीक्षा सूची अपलोड करना • लाभार्थियों का पंजीकरण करना • मनरेगा जॉब कार्ड दर्ज करना • बैंक खाते का ब्यौरा दर्ज करना • पुराने मकान और निर्माण स्थल फोटोग्राफ दर्ज करना • लाभार्थी के खाते को फ्रीज करना • एफटीओ का आदेश पत्र तैयार करना • किस्तों के भुगतान के एफटीओ तैयार करना • निरीक्षण फोटोग्राफों का अनुमोदन करना • वित्तीय वर्ष 2015–16 से पहले के अंतरणों की आंकड़ा प्रविष्टि करना

13.1.3 राज्य/सं.शा. क्षेत्र अपनी आवश्यकतानुसार ब्लॉक के स्थान पर जिले को आदेश पत्र एवं एफटीओ तैयार करने के दायित्व सौंप सकता है।

13.2 विभिन्न स्तरों पर पीएमएवाई–जी का प्रबंधन

13.2.1 एनआईसी के निरंतर सहयोग से कार्यरत ग्रामीण विकास मंत्रालय के एमआईएस का प्रबंधन पदनामित अधिकारी करता है। राज्यों के लिए लक्ष्य और आवंटन निर्धारित होनें के बाद मंत्रालय द्वारा दर्ज किए जाएंगे।

13.2.2 राज्य स्तर पर राज्य सरकारों को एमआईएस का प्रबंधन करने वाले नोडल अधिकारी नामित करने होंगे। राज्य स्तर पर उन किश्तों की संख्या, जिनमें निधि अंतरित की जाएगी तथा किस अनुपात में अंतरित की जाएगी, जिला–वार लक्ष्यों और आवंटन को दर्ज करना होगा। नोडल अधिकारी जिलों से प्राप्त प्रश्नों और मुद्दों के लिए तालमेल बिंदु तथा आवाससॉफ्ट के संबंध में एनआईसी के साथ पत्राचार के लिए सिंगल विंडो के रूप में भी कार्य करेगा।

13.2.3 जिला स्तर पर आवाससॉफ्ट के उपयोग की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। विशेष परियोजनाओं की रिपोर्ट आवाससॉफ्ट में तत्संबंधी प्रावधान के अंतर्गत अलग से दर्ज की जानी होगी और इसे राज्य स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आकड़ों की प्रविष्टि के प्रबंधन के उद्देश्य से जिला स्तर पर समर्पित कर्मचारी निर्धारित किए जाने चाहिए। वे कर्मचारी निरंतर राज्य नोडल अधिकारी के संपर्क में रहेंगे उन्हें ब्लॉक/ग्राम पंचायतों के लक्ष्य और आवंटन दर्ज करने होंगे। आवाससॉफ्ट से तैयार की जाने वाली लंबित मामलों की स्थिति और अपवाद रिपोर्टें निगरानी का आधार होनी चाहिए। आंकड़ा प्रविष्टि कार्यों की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे समय पर जानकारियों की प्रविष्टि सुनिश्चित हो सके। जहां तक भू–संदर्भित तिथि एवं समयांकित फोटोग्राफ अपलोड किए जाने का संबंध है, यह कार्य आवास ऐप के द्वारा किया जा सकता है।

13.3 आकड़ा प्रविष्टि की प्रक्रिया

आकड़ा प्रविष्टि की प्रक्रिया वर्ष के लिए लाभार्थी के पंजीकरण के साथ शुरू होती है। बैंक खाते, मनरेगा जॉब कार्ड संख्या, आधार संख्या व सहमति (आधार उपलब्ध होनें पर, मोबाइल नंबर संबंधी जानकारी सहित प्रोफाइल पूरी होनी चाहिए। लाभार्थियों की सूची ब्लॉक स्तर पर समेकित की जानी चाहिए। अपेक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप

में 4 प्रतिशत की अनुमति दी गई है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्राप्त हो और उनका दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाए

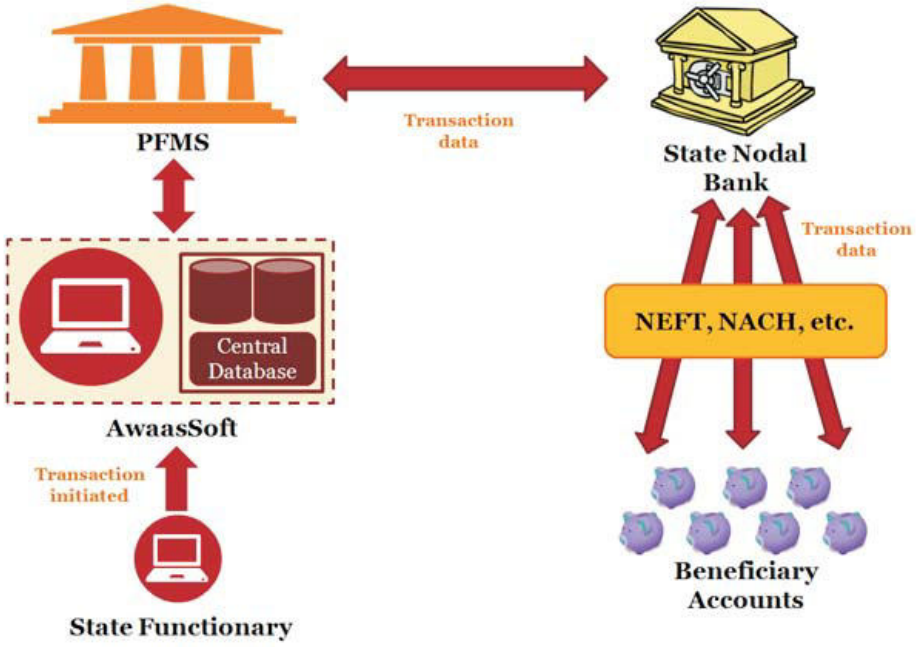

13.4 आवाससॉफ्ट के माध्यम से निधियों का प्रवाह

13.4.1 राज्यों से लाभार्थियों को सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में किए जाएंगे। प्रवाह प्रक्रिया इस प्रकार हैं :–

13.4.2 इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण शुरू करने की तैयारी के लिए किए जाने वाले विभिन्न आवश्यक उपाय इस प्रकार हैं :–

(क) क्रियान्वयन एजेंसी और बैंक खाते का पंजीकरण

i. राज्य स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी को पीएफएमएस में अपना पंजीकरण करना होगा।

ii. राज्य स्तर पर पीएमएवाई–जी के लिए केवल एक समर्पित बैंक खाता होना चाहिए जिसमें पीएमएवाई–जी की निधियां रखी जानी चाहिए।

iii. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस बैंक खाते का पीएफएमएस में पंजीकरण/समेकन हो।

vi. बैंक खाते के ब्यौरे राज्य लॉगइन में दिए गए लिंक से आवाससॉफ्ट में दर्ज किए जाने होंगे।

v. निर्धारित किए जा चुके बैंक खाते के ब्यौरे सामान्यतः उस वित्तीय वर्ष में परिवर्तित नहीं किए जायेंगे।

vi. एसएमएस/मेल से दैनिक वित्तीय मिलान विवरण प्राप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर और ई–मेल पता उपलब्ध कराया जाए।

(ख) निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के लिए हस्ताक्षरकर्ता को पदनामित करना

i. एफटीओ पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारी का स्तर और पदनाम घोषित किया जाना चाहिए।

ii. प्रथम और द्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए अधिकारी का स्तर और पदनाम घोषित किया जाना चाहिए।

iii. राज्य को एमआईएस नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, जिसे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) को सक्रिय/निष्क्रिय करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।

iv. वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य लॉगइन (आवाससॉफ्ट) द्वारा प्रथम और द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता को परिवर्तित किया जा सकता है। घोषणा कर दिए जाने के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय स्तर व पद्नाम में सामान्यतः परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(ग) हस्ताक्षरकर्ता का पंजीकरण

i. प्रथम और द्वितीय स्तर के सभी हस्ताक्षरकर्ता आवाससॉफ्ट के ब्लॉक लॉगइन से पंजीकरण करेंगे।

ii. पासवर्ड प्रथम और द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता के मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। पहली बार सफल लॉगइन करने के बाद इन्हें बदलना होगा।

(घ) हस्ताक्षरकर्ता का नामांकन और एक्टिवेशन

i. पंजीकृत हस्ताक्षरकर्ता नए क्रेडेंशियल से आवाससॉफ्ट की किसी भी लॉगइन स्क्रिन से लॉगइन करके अपने डीएससी का नामांकन कर सकते हैं।

ii. यदि अधिकारी के पास डीएससी न हो तो उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

iii. राज्य एमआईएस नोडल अधिकारी राज्य लॉगइन से एक्टिवेट/डी–एक्टिवेट कर सकता है।

iv. डीएससी एक्टिवेट हो जाने के बाद हस्ताक्षरकर्ता भविष्य में एफटीओ तैयार करने/एफटीओ पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए पुनः लॉगइन कर सकता है।

v. डीएससी एक्टिवेट होने के बाद, स्थानांतरण होने की स्थिति में पूर्व पद्स्थान स्थान पर इसे डीएक्टिवेट कराना आवश्यक होगा। वही डीएससी नवपद्स्थापन स्थान पर अधिकारी द्वारा नामांकन व एक्टिवेशन की निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर उपयोग में लाया जा सकेगा।

(ड़) लाभार्थी बैंक खाता

i. प्रथम आदेश पत्र तैयार करने से पहले आवाससॉफ्ट के ब्लॉक लॉगइन से पीएमएवाई–जी लाभार्थी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया जाना चाहिए।

ii. सभी लाभार्थियों के फ्रीज किए गए बैंक खातों का सत्यापन पीएफएमएस से किया जाएगा।

iii. पीएफएमएस से खाते का सत्यापन कर लिए जाने के बाद उस खाते का पुनः सत्यापन ब्लॉक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जो कि यह पता करेगा कि खाता धारक का नाम आवाससॉफ्ट में दर्ज लाभार्थी के नाम से मेल खाता हो।

iv. लाभार्थियों के जिन बैंक खातों का पीएफएमएस से सत्यापन और उसके बाद ब्लॉक अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जा चुका है। उन बैंक खातों का उल्लेख भुगतान के आदेश पत्र में किया जाएगा।

v. पीएफएमएस द्वारा अस्वीकृत किए गए लाभार्थी बैंक खातों का पुनः अद्यतनीकरण करके पुनरू उन्हें फ्रीज किया जाना होगा।

vi. डाकघरों में लाभार्थियों के खातों को भी पीएफएमएस में मान्यता प्रदान की गई है और तदनुसार लाभार्थियों के डाकघर खातों को भी फ्रीज किया जाना है।

13.5 आवाससॉफ्ट पर प्रगति की निगरानी

पीएमएवाई–जी के अंतर्गत प्रगति की निगरानी के लिए आवाससॉफ्ट में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के रिपोर्टें निम्नानुसार होंगीः

क. भौतिक प्रगति रिपोर्टें

ख. वित्तीय प्रगति रिपोर्टें

ग. तालमेल (कन्वर्जेंस) रिपोर्टें

घ. ई–एफएमएस रिपोर्टें

ङ. सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें

च. अन्य रिपोर्टें

13.6 पीएफएमएस के माध्यम से अंतरण

13.6.1 पीएमएवाई–जी कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम प्रयोक्ता तक लाभ पहुंचाने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण आवास प्रभाग को पीएफएमएस निम्न दो सेवाएं प्रदान करता हैः–

(क) बैंकों द्वारा लाभार्थी खातों की पुष्टि के माध्यम के रूप में

i. राज्य सरकारों के कार्यकारियों द्वारा आवाससॉफ्ट पर दर्ज किए जाने वाले लाभार्थियों के खातों का ब्यौरा पीएफएमएस प्राप्त करता है।

ii. प्राप्त हुए खाते की जानकारी की प्राथमिक पीएफएमएस पुष्टि करता है और यदि सब कुछ ठीक पाया जाए तो लाभार्थियों के खाते के ब्यौरे पुष्टि के लिए संबंधित बैंकों को भेज दिए जाते हैं।

iii. लाभार्थियों के बैंकों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया आवाससॉफ्ट को भेज दी जाती है।

iv. यह उन्हीं बैंकों के मामले में सत्य है, जो बैंक पीएफएमएस से लिंक हैं। अन्य बैंकों के मामले में पीएफएमएस द्वारा प्रारंभिक पुष्टि के बाद यदि सब कुछ सही पाया जाए तो उपयुक्त प्रतिक्रिया सीधे आवाससॉफ्ट को भेज दी जाती हैं और इसमें लाभार्थियों के बैंकों की कोई सहभागिता नहीं होती है।

(ख) राज्य नोडल बैंकों द्वारा एफटीओ के भुगतान के माध्यम के रूप में

i. आवाससॉफ्ट पर राज्य/सं.शा. क्षेत्र सरकारों के कार्यकारियों द्वारा तैयार किए गए निधि अंतरण आदेश पीएफएमएस को प्राप्त होते हैं।

ii. पीएफएमएस प्राप्त हुए एफटीओ की प्रारंभिक पुष्टि करता है और यदि सब कुछ सही पाया जाए तो पीएफएमएस एफटीओ की प्राप्ति की पावती भेज देता है और यदि ऐसा न हो तो एफटीओ को अस्वीकार करते हुए प्रतिक्रिया भेजता है।

iii. स्वीकृत एफटीओ लाभार्थियों के खातों में भुगतान के लिए संबंधित राज्य नोडल बैंकों को भेजे जाते हैं।

iv. राज्य नोडल बैंकों से प्राप्त प्रतिक्रिया आवाससॉफ्ट को भेज दी जाती हैं।

13.6.2 पीएमएवाई–जी योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले सभी लाभार्थियों का आवास सॉफ्ट का पंजीकरण और पीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खातों की पुष्टि होना आवश्यक है।

13.6.3 पीएमएवाई–जी के अंतर्गत सभी किस्तों का किया गया भुगतान आवाससॉफ्ट पर तैयार किए जाने वाले एफटीओ के माध्यम से किया जाना है, जिन पर कार्यवाई करके ई–एफएमएस उन्हें लाभार्थियों के खातों में निधि के अंतरण के लिए राज्य नोडल बैंकों को भेज देता है।

13.7 मोबाइल एप्लिकेशन

13.7.1 "आवास ऐप" नामक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है, जो निर्माण कार्य के दौरान लिए गए आवासों के भू–संदर्भित और टाइम एवं डेट–स्टेंप वाले फोटो दर्शाता है। निरीक्षणों और फोटोग्राफ के अपलोड की प्रक्रिया में सहायता के लिए ही यह अनुप्रयोग तैयार किया गया है। तैयार किए जाने वाले भू–संदर्भित वाले आकड़े "आवास ऐप" के माध्यम से उपलब्ध होंगे और यह ऐप भविष्य में तैयार किए जाने के लिए प्रस्तावित डैशबोर्ड से जुड़ा होगा। "आवास ऐप" को संपूर्ण आंकड़ा प्रविष्टि और एमआईएस अपेक्षाएं पूर्ण करने तक विकसित किया जायेगा।

13.7.2 आवास की मंजूरी लेने से पहले पीएमएवाई–जी के तहत मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए पुराने आवासों और नए आवासों के निर्माण स्थल के फोटो अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे और विभिन्न स्तरों पर आगामी निरीक्षण से किश्तों की रिलीज को जोड़ा जायेगा। आवास एप वर्तमान में एनड्रोइड प्लेटफॉर्म (गूगल प्ले स्टोर) पर यह उपलब्ध है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्जन में उपलब्ध है ताकि नेटवर्क से जुड़े हुए क्षेत्रों के साथ–साथ दूरवर्ती क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य में मदद दी जा सके।

14

अनुबंध

14. प. बंगाल के लिए मकान का डिजाइन

हल्की निर्माण सामग्रियों का उपयोग करते हुए भूकंपी क्षेत्र 4 और 5 के लिए प्रस्तावित डिजाइन।

अनुबंध–1

बहिर्वेशन प्रक्रिया

चरण–1: पक्के मकानों में रहने वालों का बर्हिवेशन – पक्की छत और/या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवारों को इस प्रक्रिया में बाहर कर दिया जाता है।

चरण–2: स्वतः बहिर्वेशन– अन्य प्रकार के शेष परिवारों में से नीचे सूची में दिए गए 13 पैरामीटरों में से किसी एक को भी पूरा करने वाला परिवार स्वतः ही बाहर हो जाता है:–

1. मोटरयुक्त दोपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव।
2. मशीनी तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण।
3. 50,000 रू. अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।
4. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
5. सरकार के पास पंजीकृत गैर–कृषि उद्यम वाले परिवार।
6. वे परिवार, जिनका कोई सदस्य 10,000 रू. से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।
7. आयकर देने वाले परिवार।
8. व्यवसाय कर देने वाले परिवार।
9. वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।
10. वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।
11. वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो।

12. दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।

13. वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपरकण हो।

स्वतः अंतर्वेशन के लिए मानदंड

1. आश्रयविहीन परिवार।

2. बेसहारा/भीख मांग कर जीवनयापन करने वाले।

3. हाथ से मैला ढोने वाले।

4. आदिम जनजातीय समूह।

5. वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।